

# अभिभावकों के अधिकार मैरीलैंड कार्यविधि सुरक्षा-उपाय नोटिस



मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन  
डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज

**31 दिसम्बर, 2008**

मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन  
डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज  
200 West Baltimore Street  
Baltimore, MD 21201  
410-767-0858 (फोन)  
410-333-1571 (फैक्स)  
<http://marylandpublicschools.org>

मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रोजगार को प्रभावित करने वाले मामलों या कार्यक्रमों तक एक्सेस प्रदान करने में नस्ल, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्म या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। विभागीय नीति से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया समानता आश्वासन एवं अनुपालन शाखा से फोन नं. (410) 767-0433 या फैक्स (410) 767-0431 पर संपर्क करें। अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ अधिनियम (एडीए) के अनुसार यह दस्तावेज अनुरोध किए जाने पर वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध है। डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज, मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को फोन नं.(410) 767-0858 या फैक्स (410) 333-1571 पर संपर्क करें।

यह दस्तावेज यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ऑफिस ऑफ एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज़ द्वारा वित्त पोषित डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज़ IDEA के भाग बी अनुदान #HO27A060035A द्वारा तैयार व निर्मित किया गया था। डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज़ को वित्त पोषण स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स के कार्यालय, स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज़ कार्यालय, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से प्राप्त होता है। इस जानकारी पर कॉपीराइट लागू नहीं होता। पाठकों को इसकी प्रतियां बनाने और इसे एक दूसरे को बताने के लिए बढ़ावा दिया जाता है परंतु कृपया इसका श्रेय डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन / अर्ली इंटरवेन्शन सर्विसेज़, मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दें।



## विषय-सूची

कार्यविधि सावधानियां.....	1
मातृ भाषा.....	1
इलैक्ट्रॉनिक मेल.....	1
पूर्व लिखित नोटिस.....	2
नोटिस.....	2
लिखित नोटिस की विषय-वस्तु.....	2
सहमति.....	2
आरंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावकीय सहमति.....	3
राज्य आश्रितों के आरंभिक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट नियम.....	3
सर्विसेज के लिए अभिभावकीय सहमति.....	3
सेवाओं के लिए अभिभावकीय सहमति की वापसी.....	4
पुनर्मूल्यांकन के लिए अभिभावकीय सहमति.....	4
अभिभावकीय सहमति पाने के लिए यथोचित प्रयासों का दस्तावेजीकरण.....	4
अन्य सहमति जरूरतें.....	4
स्वतंत्र शैक्षिक मूल्यांकन.....	5
परिभाषाएं.....	5
सार्वजनिक एजेंसी का मापदंड.....	5
सार्वजनिक खर्च पर मूल्यांकन का अभिभावकीय अधिकार.....	5
अभिभावकीय आरंभिक मूल्यांकन.....	5
सुनवाई अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रार्थना.....	6
सूचना की गोपनीयता.....	6
परिभाषाएं.....	6
सावधानियां.....	6
ण्ण सहमति.....	7
ण्ण्णपहुंच अधिकार.....	7
ण्ण्णपहुंच रिकॉर्ड.....	7
ण्ण्णअभिभावकों की प्रार्थना पर अभिलेखों का संशोधन.....	8
ण्ण्णसूचना नष्ट करने के लिए प्रक्रिया.....	8
ण्ण्ण्ण बच्चों के अधिकार.....	8
ण्ण अनुशासनात्मक सूचना.....	8
विकलांग बच्चों के लिए अनुशासन.....	9
परिभाषाएं.....	9
ण्ण्ण विद्यालय कर्मचारीवर्ग के अधिकार.....	9
ण्ण प्रत्यक्ष निश्चय.....	9

ण्ण भर्ती में बदलाव.....	10
ण्ण अंतरिम वैकल्पिक शैक्षिक सेटिंग.....	10
ण्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपील.....	10
ण्ण्ण बच्चा जो अभी तक योग्य नहीं है.....	11
ण्ण कानूनन बाध्यकारी एवं न्यायिक प्राधिकरण द्वारा भेजा जाना और कार्यवाही.....	11
<b>सार्वजनिक खर्च पर निजी विद्यालय में अभिभावकों द्वारा बच्चों की एकपक्षीय भर्ती.....</b>	<b>12</b>
प्रतिपूर्ति की सीमा.....	12
<b>परिपक्वता आयु में अभिभावकीय अधिकारों का हस्तांतरण.....</b>	<b>12</b>
<b>असहमति समाधान.....</b>	<b>13</b>
<b>मध्यस्थता.....</b>	<b>13</b>
ण्ण मध्यस्थता प्रोत्साहन के लिए बैठक.....	14
<b>एक राज्य शिकायत और एक आवश्यक शिकायत प्रक्रिया में अंतर.....</b>	<b>14</b>
<b>राज्य शिकायत.....</b>	<b>14</b>
ण्ण राज्य शिकायत समाधान.....	15
राज्य शिकायत जो आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया का विषय है का समाधान .....	15
<b>आवश्यक शिकायत प्रक्रिया .....</b>	<b>16</b>
ण्ण आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की विषय-वस्तु.....	16
ण्ण आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की प्रतिक्रिया.....	16
ण्ण नोटिस की पर्याप्तता.....	17
ण्ण्ण कार्यवाही के दौरान बच्चे की स्थिति.....	17
ण्ण समाधान प्रक्रिया.....	17
ण्ण 30 दिनों की समाधान अवधि का सामंजस्य.....	17
ण्ण समाधान समझौता अनुबंध.....	17
ण्ण आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया .....	18
ण्ण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज(एएलजे).....	18
ण्ण आवश्यक शिकायत प्रक्रिया का विषय.....	19
ण्ण सुनवाई अधिकार.....	19
ण्ण सूचना का अतिरिक्त प्रकटीकरण.....	19
ण्ण अभिभावकीय अधिकार.....	20
ण्ण सुनवाई निर्णय.....	20
ण्ण पृथक आवश्यक शिकायत प्रक्रिया .....	20
ण्ण सुनवाई की समयावधि और सुविधा.....	20
ण्ण प्रगतिशील समयावधि.....	20
ण्ण सुनवाई निर्णय की अन्तिमता.....	21
<b>अपील.....</b>	<b>21</b>
<b>अटॉर्नी की फीस.....</b>	<b>21</b>



## कार्यविधि संबंधी सावधानियां

**कार्यविधि संबंधी सावधानियां नोटिस में आपके अधिकारों का समझने योग्य तरीके से और आपकी मातृ भाषा में पूरा विवरण शामिल होता है।**

इस दस्तावेज में शामिल सुरक्षा उपाय, वर्ष 2004 के विकलांग व्यक्तियों हेतु शिक्षा सुधार कानून (इन्डिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट 2004); IDEA 2004), 20 U.S.C. §1400 व अन्य एवं COMAR 13A.05.01.01-.16 और COMAR 13A.08.03 के द्वारा स्थापित हैं जो IDEA 2004 को लागू करते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक एजेन्सी IDEA 2004 की शर्तों को पूरा करने वाली कार्यविधि संबंधी सावधानियों को स्थापित करेगी, लागू करेगी और जारी रखेगी। कार्यविधि संबंधी सावधानियों की एक प्रति अभिभावकों को केवल वर्ष में एक बार दी जाएगी सिवाए इसके कि सार्वजनिक एजेन्सी दस्तावेज की एक अन्य प्रति अभिभावकों को प्रदान करती है:

- मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक रूप से भेजे जाने या अभिभावकीय अनुरोध पर;
- एक विद्यालय वर्ष में 300.153 द्वारा 34 सीएफआर 300.151 के अंतर्गत प्रथम विशेष शिक्षा शिकायत की प्राप्ति पर;
- एक विद्यालय वर्ष में 34 C.F.R. §300.507 के अंतर्गत पहली आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति पर;
- अभिभावकों के अनुरोध पर।

एक सार्वजनिक एजेन्सी अपनी इंटरनेट वेब साइट यदि हो तो, पर कार्यविधि सावधानियां नोटिस की वर्तमान प्रति रख सकती है।

कार्यविधि सावधानियां दस्तावेज में अभिभावक अधिकारों का पूरा विवरण एक समझने योग्य तरीके और अभिभावक की मातृ भाषा में शामिल होता है जब तक यह करना अनुपयुक्त न हो। यदि अभिभावक की मातृ भाषा या संप्रेषण के अन्य तरीके लिखित भाषा में न हों, सार्वजनिक एजेन्सी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि कार्यविधि सावधानियां उपायों का मौखिक रूप तथा अभिभावक की मातृ भाषा में अन्य तरीकों से अथवा संप्रेषण के अन्य तरीके से अनुवाद किया गया है। सार्वजनिक एजेन्सी दस्तावेज के लिखित साक्ष्य रखेगी कि नोटिस का अनुवाद हुआ और अभिभावक कार्यविधि सावधानियों की विषय-वस्तु से संतुष्ट हैं।

## मातृ भाषा

**अभिभावकों को उस भाषा जो वे समझते हैं में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।**

उस व्यक्ति के साथ जिसकी अंग्रेजी में सीमित निपुणता है के साथ मातृ भाषा, का अर्थ निम्न है:

- उस व्यक्ति द्वारा सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा, या, एक बच्चे के मामले में, बच्चे के अभिभावकों द्वारा सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा;
- बच्चे के साथ सभी प्रत्यक्ष संपर्कों में (बच्चे का मूल्यांकन शामिल है), वह भाषा बच्चे द्वारा सामान्यतः घर व अध्ययन वातावरण में प्रयोग की जाती है।

बधिर या अंधा व्यक्ति, अथवा वह व्यक्ति जिसे लिखित भाषा का ज्ञान नहीं है, सामान्यतः संप्रेषण के लिए किस तरीके का प्रयोग करता है (जैसे संकेत भाषा, ब्रेल, या मौखिक संप्रेषण)।

## इलैक्ट्रॉनिक मेल

**यदि यह विकल्प मौजूद हो तो अभिभावक इलैक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस प्राप्त करने के लिए चुन सकते हैं।**

यदि सार्वजनिक एजेन्सी अभिभावकों को दस्तावेज ई-मेल द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव देती है, आप ई-मेल द्वारा निम्न प्राप्त करने के लिए चुन सकते हैं:

- पूर्व लिखित नोटिस;
- कार्यविधि सावधानियां नोटिस; **और**
- आवश्यक प्रक्रिया के अनुरोध से संबंधित नोटिस।

## पूर्व लिखित नोटिस

*अभिभावकों को अपने बच्चों की विशेष शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक एजेंसी के कार्यों के बारे में लिखित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।*

### नोटिस

एक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को हर बार लिखित नोटिस अवश्य देगी वह:

- आरंभ करने या बच्चे की पहचान बदलने, मूल्यांकन, शैक्षणिक कार्यक्रम, या शैक्षिक पाठ्यक्रम में भर्ती या बच्चे के लिए निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) के प्रावधान का प्रस्ताव; या
- आरंभ करने या बच्चे की पहचान बदलने, मूल्यांकन, शैक्षणिक कार्यक्रम, या शैक्षिक पाठ्यक्रम में भर्ती या बच्चे के लिए निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) के प्रावधान के प्रस्ताव के लिए मना करना।

जब लिखित नोटिस उस कार्य से संबंधित हो जिसमें अभिभावक की सहमति जरूरी है, सार्वजनिक एजेंसी उसी समय लिखित नोटिस दे सकती है।

### लिखित नोटिस की विषय-वस्तु

लिखित नोटिस में जरूरी है:

- सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित या अस्वीकृत कार्यवाही(यों) का वर्णन;
- सार्वजनिक एजेंसी क्यों किसी कार्यवाही(यों) को प्रस्तावित या अस्वीकृत कर रही है, इस बाबत स्पष्टीकरण;
- सार्वजनिक एजेंसी द्वारा कार्यवाही(यों) को प्रस्तावित या अस्वीकृत करने का निर्णय लेने में प्रयोग प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया, निर्धारण, अभिलेख या रिपोर्ट का विवरण;
- IDEA में वर्णित प्रक्रियात्मक सावधानियां प्रावधानों के अंतर्गत अभिभावक सुरक्षा विवरण को शामिल करें;
- अभिभावकों को बताएं कि कैसे प्रक्रियात्मक सावधानियों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं यदि सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित या अस्वीकृत कार्यवाही को मूल्यांकन के लिए आरंभ में नहीं भेजा गया;
- IDEA को अभिभावकों को समझने में सहायता करने वाले स्रोतों को शामिल करना;
- किन्हीं अन्य विकल्प जिन पर बच्चे की इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम (IEP) टीम ने विचार किया हो का विवरण और इन विकल्पों को अस्वीकृत करने का कारण; **और**
- सार्वजनिक एजेंसी द्वारा कार्यवाही को प्रस्तावित या अस्वीकृत करने के किसी अन्य कारण का विवरण प्रदान करना।

## सहमति

*सार्वजनिक एजेंसी को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को बच्चे तक पहुंचाने एवं विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पहले अभिभावकीय सहमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अभिभावकों के पास सहमति देने का अधिकार है। मूल्यांकन के लिए सहमति के कुछ अपवाद हैं।*

सहमति का अर्थ है जिसमें अभिभावकों को:

- उस गतिविधि से संबद्ध प्रत्येक सूचना जिसके लिए सहमति मांगी गई है, अभिभावकों की मातृभाषा में अथवा अन्य संचार प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी है;
- जिस गतिविधि के लिए उनकी सहमति मांगी गई है उसे जारी रखने के बारे में समझते हैं और लिखित रूप में सहमत हैं तथा सहमति उस गतिविधि को वर्णित करती है एवं जारी किए जाने वाले अभिलेखों (यदि कोई हैं) को सूचीबद्ध करती है; और
- समझते हैं कि सहमति को मंजूरी देना स्वैच्छिक है एवं किसी भी समय इसे वापिस लिया जा सकता है।

यदि अभिभावक सहमति वापिस लेते हैं तो यह सार्वजनिक एजेंसी की सहमति प्राप्ति और इसके वापिस लेने के समय से पूर्व के बीच हुई गतिविधि को रद्द नहीं करती।

यदि अभिभावक, अपने बच्चे के द्वारा आरम्भिक रूप से विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्राप्त करने के बाद अपने बच्चे को विशेष शिक्षा सेवा को प्राप्त करने की अपनी सहमति को लिखित रूप से वापिस लेते हैं, तब सार्वजनिक एजेंसी को सहमति के

वापिस लिए जाने के कारण बच्चे के द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की प्राप्ति के उल्लेख को हटाने के लिए बच्चे के शिक्षा रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

### आरंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावकीय सहमति

बच्चा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के योग्य है यह जानने के लिए सार्वजनिक एजेंसी बच्चे का आरंभिक मूल्यांकन कर सकती है, सार्वजनिक एजेंसी को जरूरत:

- प्रस्तावित कार्यवाही का पूर्व लिखित नोटिस अभिभावकों को प्रदान करना चाहिए; **और**
- अभिभावकीय सहमति लेनी चाहिए।

सार्वजनिक एजेंसी को यह निर्णय लेने के लिए कि बच्चा विकलांग है जिसे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान की जरूरत है, के आरंभिक मूल्यांकन की सूचित सहमति लेने के लिए तक्रसंगत प्रयास अवश्य करने चाहिए।

आरंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावक की सहमति का अर्थ यह नहीं है कि अभिभावक ने सार्वजनिक एजेंसी को अपने बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं देने की भी सहमति दे दी है।

### राज्य के आश्रितों के आरंभिक मूल्यांकन के लिए विशेष नियम

यदि बच्चा राज्य पर आश्रित है और अपने अभिभावकों के साथ नहीं रहता/रहती, सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के विकलांग होने के निर्धारण के आरंभिक मूल्यांकन के लिए अभिभावकों की सहमति की जरूरत नहीं होती यदि:

- अथक प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के अभिभावकों को नहीं खोज पाती;
- राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार बच्चे के अभिभावकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हों; **या**
- न्यायाधीश ने अभिभावक के शिक्षा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार और आरंभिक मूल्यांकन की सहमति अभिभावक के अतिरिक्त किसी किसी अन्य को सौंप दी हो।

### सेवाओं के लिए अभिभावकीय सहमति

सार्वजनिक एजेंसी को पहली बार बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने से पूर्व सूचित सहमति लेने के लिए तक्रसंगत प्रयास अवश्य करने चाहिए।

सार्वजनिक एजेंसी को एक करार प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ या आवश्यक क्रियाविधि प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए या बच्चे को बिना अभिभावकीय सहमति के बच्चे की IEP टीम द्वारा विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की सिफारिश प्रदान नहीं करनी चाहिए यदि अभिभावक:

- अपने बच्चे के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की प्राप्ति की सहमति के लिए मना कर दें; या
- पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए सहमति प्रदान करने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया न दें।

यदि अभिभावक पहली बार अपने बच्चे के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की प्राप्ति की सहमति के लिए मना कर दे, या विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए सहमति प्रदान करने के निवेदन का उत्तर न दे, सार्वजनिक एजेंसी:

- उनके बच्चे को निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध कराने के लिए जरूरत का उल्लंघन न करे; **और**
- अपने बच्चे के लिए एक वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (IEP) बैठक या एक IEP विकसित करने की जरूरत नहीं है।

### सेवाओं के लिए अभिभावकीय सहमति की वापसी

जब सार्वजनिक एजेंसी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आरंभिक व्यवस्था शुरू कर चुकी हो, तब अगर एक बच्चे के अभिभावक लिखित रूप में विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की निरंतर व्यवस्था की सहमति वापिस ले लेते हैं, उस स्थिति में सार्वजनिक एजेंसी –

- को सहमति के वापिस लिए जाने के कारण बच्चे के द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की प्राप्ति के उल्लेख को हटाने के लिए बच्चे के शिक्षा रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है,

- भले ही बच्चे को विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ उपलब्ध न कराए, परंतु विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की व्यवस्था को समाप्त करने से पहले, सभी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं को समाप्त करने के लिए अभिभावक के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन का एक पूरा पूर्व लिखित सूचना पत्र अवश्य उपलब्ध कराना चाहिये,
- बच्चे को सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ऐसे करार या सिफारिश को प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ या आवश्यक क्रियाविधि प्रक्रिया का प्रयोग करे यह आवश्यक नहीं है।
- बच्चे को आगे विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराने में असफलता के कारण बच्चे को निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध कराने की जरूरत का उल्लंघन करता हुआ नहीं माना जाएगा और,
- के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक IEP टीम मीटिंग का आयोजन करे या बच्चे के लिए विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आगे की व्यवस्था के लिए एक IEP का गठन करे।

**सहमति का वापिस लिया जाना** सार्वजनिक एजेंसी की सहमति प्राप्ति और इसके वापिस लेने के समय से पूर्व के बीच हुई कायविधि को रद्द नहीं करती।

### पुनर्मूल्यांकन के लिए अभिभावकीय सहमति

सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के नए वैयक्तिक मूल्यांकन को करने से पूर्व सूचित सहमति अवश्य लेनी चाहिए, जब तक सार्वजनिक एजेंसी प्रदर्शन न करे कि:

- उसने पुनर्मूल्यांकन की अभिभावकीय सहमति लेने के लिए तक्रसंगत कदम लिए हैं; **और**
- अभिभावक ने उत्तर नहीं दिया।

यदि अभिभावक नए मूल्यांकन के लिए सहमति देने से मना कर दें, तो सार्वजनिक एजेंसी, मध्यस्थता एवं आवश्यक क्रियाविधि प्रक्रिया द्वारा अभिभावकीय अस्वीकृति को दबाने की मांग कर सकती है, परंतु यह जरूरी नहीं है। आरंभिक मूल्यांकन के साथ, IDEA के अंतर्गत, यदि वह नए मूल्यांकन को पूरा करने से मना कर दे तो सार्वजनिक एजेंसी अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं करती है।

### अभिभावकीय सहमति पाने के लिए तक्रसंगत प्रयासों का दस्तावेजीकरण

सार्वजनिक एजेंसी को आरंभिक मूल्यांकन की अभिभावकीय सहमति लेने, पहली बार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करने, पुनर्मूल्यांकन, एवं आरंभिक मूल्यांकन के लिए राज्य आश्रितों के अभिभावकों का पता लगाने के लिए किए गए तक्रसंगत प्रयासों के दस्तावेजों को रखना चाहिए।

दस्तावेजों में अभिभावकीय सहमति लेने के लिए सार्वजनिक एजेंसी के प्रयासों के रिकॉर्ड को अवश्य शामिल करना चाहिए, जैसे:

- की गई या प्रयास की गई टेलिफोन कॉलों का विस्तृत रिकॉर्ड और उन कॉलों का परिणाम;
- अभिभावकों को भेजे गए पत्रों की प्रति और कोई प्राप्त उत्तर; **और**
- अभिभावक से घर या कार्यस्थल पर मुलाकातों का विस्तृत रिकॉर्ड और इन मुलाकातों का परिणाम।

### अन्य सहमति जरूरतें

सार्वजनिक एजेंसी के सामने अभिभावकीय सहमति जरूरी नहीं है:

- बच्चे के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के रूप में मौजूद डेटा की समीक्षा, **या**
- सभी बच्चों को दिया जाने वाला एक टैस्ट या अन्य मूल्यांकन अपने बच्चे को दें, इस जांच या मूल्यांकन से पूर्व सभी बच्चों के अभिभावकों की सहमति जरूरी है।

सार्वजनिक एजेंसी एक सेवा या गतिविधि की सहमति के लिए अभिभावकीय अस्वीकृति का प्रयोग अभिभावक या बच्चे को अन्य कोई सेवा, लाभ, या गतिविधि देने से मना करने के लिए नहीं कर सकती।

यदि अभिभावक अपने बच्चे को अपने खर्चे पर निजी विद्यालय में भर्ती कराते हैं, तो सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता या आवश्यक क्रियाविधि प्रक्रिया का प्रयोग बच्चे की योग्यता जानने के लिए नहीं कर सकती और बच्चा उचित सेवाएं प्राप्त करने के योग्य है पर विचार करने की जरूरत नहीं है, यदि:

- अभिभावक अपने बच्चे के आरंभिक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए सहमति प्रदान नहीं करते; या
- अभिभावक सहमति प्रदान करने के अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहते हैं।

### स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन

*यदि अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, तो अभिभावकों को बच्चे का मूल्यांकन किसी अन्य, जो सार्वजनिक एजेंसी के लिए काम न करता हो, से करवाने का अधिकार है।*

#### परिभाषाएं

- स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अर्थ टैस्ट और निर्धारण प्रक्रियाएं हैं जो समुचित योग्य कर्मी द्वारा की जाती हैं जो बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी में कार्यरत न हो।
- सार्वजनिक व्यय का अर्थ है जो सार्वजनिक एजेंसी द्वारा मूल्यांकन की पूरी लागत के लिए देय हो या अन्यथा सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन अभिभावक को बिना लागत के प्रदान हो।

अभिभावकों को IDEA के अधीन नीचे प्रदान प्रक्रिया के अंतर्गत अपने बच्चे का स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन करने का अधिकार है। के बारे में सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को अनुरोध पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन, सूचना प्रदान करेगी:

- कहां एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन किया जा सकता है; और
- एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक एजेंसी के मापदण्ड लागू हैं।

#### सार्वजनिक एजेंसी के मापदण्ड

जब एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन सार्वजनिक व्यय पर होता है तो मूल्यांकन के स्थान और परीक्षक की योग्यताओं सहित जिस मापदण्ड पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाता है, वह वही होना चाहिए जो सार्वजनिक एजेंसी मूल्यांकन आरंभ करते समय प्रयोग करती है, विस्तारित रूप से वह मापदण्ड अभिभावक के स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन के अधिकार के अनुरूप हैं। ऊपर वर्णित मापदण्ड के अतिरिक्त, सार्वजनिक एजेंसी सार्वजनिक खर्च पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने के संबंध में शर्तें अथवा समय सीमाएं लागू नहीं कर सकती।

#### सार्वजनिक खर्च पर मूल्यांकन हेतु अभिभावक के अधिकार

यदि अभिभावक सार्वजनिक एजेंसी द्वारा प्राप्त किसी मूल्यांकन से असहमत हैं तो उन्हें सार्वजनिक खर्च पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अधिकार है। यदि अभिभावक सार्वजनिक खर्च पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए अनुरोध करते हैं तो सार्वजनिक एजेंसी को बिना अनावश्यक देरी के या तो:

- यह दर्शाने के लिए कि उसका मूल्यांकन समुचित है, आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए; अथवा
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक खर्च पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्रदान किया जाए जब तक कि सार्वजनिक एजेंसी आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में यह प्रदर्शित न कर दे कि अभिभावकों द्वारा प्राप्त मूल्यांकन सार्वजनिक एजेंसी के मापदण्डों पर पूरा नहीं उतरता।

यदि सार्वजनिक एजेंसी किसी आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया की शुरुआत करती है और अंतिम निर्णय यह होता है कि एजेंसी का मूल्यांकन समुचित है, तो अभिभावकों को तब भी स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन का अधिकार है, परंतु सार्वजनिक खर्च पर नहीं।

यदि अभिभावक एक स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु अनुरोध करते हैं तो सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों से सार्वजनिक मूल्यांकन के विरोध का कारण पूछ सकती है। हालांकि अभिभावकों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है एवं सार्वजनिक एजेंसी स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन सार्वजनिक खर्च पर प्रदान करने में अथवा सार्वजनिक एजेंसी के मूल्यांकन का बचाव करने के लिए आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया शुरू करने में असंगत रूप से देरी नहीं कर सकती।

#### अभिभावकों की पहल पर मूल्यांकन

अभिभावकों को अपनी पसंद के योग्य पेशेवर लोगों से अपनी निजी लागत पर स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन प्राप्त करने का सदैव अधिकार है। IEP टीम को बच्चे के लिए FAPE के प्रावधान के संबंध में कोई निर्णय लेते समय अभिभावकों की पहल पर उनके निजी खर्च पर प्राप्त मूल्यांकन से मिली सूचना पर विचार करना चाहिए, यदि यह सार्वजनिक एजेंसी के मापदंड को पूरा करता है। अभिभावकों की पहल पर निजी मूल्यांकन के परिणामों को भी बच्चे के संबंध में आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

### **एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज(ALJ) द्वारा मूल्यांकन हेतु अनुरोध**

यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ), ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स (OAH) से आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वतंत्र शैक्षणिक मूल्यांकन हेतु अनुरोध करता है तो मूल्यांकन की कीमत सार्वजनिक खर्च पर दी जानी चाहिए।

### **सूचना की गोपनीयता**

*यदि अभिभावकों को ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड सही नहीं है तो अपने बच्चे के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और सार्वजनिक एजेंसी से अपने बच्चे के रिकॉर्ड को सही करवाने का अधिकार है। अभिभावकों को अपने बच्चे के बारे में सूचना जारी करने की सहमति देने का अधिकार है, इसके अलावा समान परिस्थितियों में सहमति की ज़रूरत नहीं है। अभिभावकों को सार्वजनिक एजेंसी से यह उम्मीद करने का अधिकार है कि वे उनके बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड को गोपनीय रखेंगी और जब इन शैक्षणिक सूचनाओं की ज़रूरत नहीं होगी तो नष्ट करने से पूर्व पूछेंगी।*

### **परिभाषाएं**

विनाश का अर्थ है भौतिक रूप से विनाश अथवा व्यक्तिगत पहचान को सूचना से इस तरह हटाना कि सूचना पहचानने योग्य न रहे।

शैक्षणिक अभिलेखों का अर्थ है 34 C.F.R. भाग 99 (1974 के दि रेगुलेशन इंप्लीमेंटिंग दि फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवैसी एक्ट[FERPA] में) "शैक्षणिक अभिलेखों" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल अभिलेखों की किस्म।

प्रतिभागी एजेंसी का अर्थ है कोई एजेंसी या संस्था जो व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य सूचना को एकत्रित करती है, रखती है, या प्रयोग करती है, अथवा IDEA के भाग B के अधीन जिससे सूचना प्राप्त की जाती है।

व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना में शामिल हैं:

- बच्चे का, बच्चे के अभिभावकों का, या अन्य परिवार के सदस्य का नाम;
- बच्चे का पता;
- व्यक्तिगत पहचान; जैसे बच्चे का सोशल सिक्युरिटी नंबर; या
- व्यक्तिगत लक्षणों की सूची या अन्य सूचना जिससे बच्चे को पर्याप्त निश्चय के साथ पहचानना संभव हो सके।

### **सावधानियां**

प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना की गोपनीयता की, एकत्रीकरण, भंडारण एवं उसे नष्ट करने की अवस्थाओं पर सुरक्षा करेगी। सार्वजनिक एजेंसी का एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इन कार्यविधि संबंधी सावधानियों के अतिरिक्त, संघीय एवं राज्य कानून व अधिनियम भी शैक्षणिक अभिलेखों की सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। सार्वजनिक एजेंसी के सभी अधिकारी जो व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने वाली सूचना को एकत्रित करते हैं प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने वाली सूचना की गोपनीयता पर राज्य की नीतियों एवं कार्यविधियों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए, एजेंसी के अंदर उन कर्मचारियों के नाम व पदों की नवीन सूची रखेगी जिन्हें व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने वाली सूचना सुलभ हो सकती है।

IDEA के अंतर्गत सूचना को एकत्रित व प्रयोग करने वाली प्रतिभागी एजेंसियों के अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य को या IDEA के अंतर्गत सूचना प्रयोग करने, अथवा IDEA के अंतर्गत विकलांग बच्चे को FAPE प्रदान करने की ज़रूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना को प्रकट करने से पहले सार्वजनिक एजेंसी को अभिभावकों की सहमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। विकलांग बच्चे द्वारा किये गये अपराध की सूचना के संबंध में

कानून लागू करने वाले एवं न्यायिक प्राधिकारियों के और उनके द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में सूचना को प्रकट करने के लिए अभिभावकों की सहमति की जरूरत नहीं है जिस सीमा तक संप्रेषण को FERPA द्वारा अनुमति प्राप्त है।

एक शैक्षणिक एजेंसी अथवा संस्था प्रतिभागी एजेंसियों को अभिभावकों की सहमति के बिना शैक्षणिक अभिलेखों से सूचना नहीं दे सकती जब तक कि वह FERPA के अंतर्गत ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हो। MSDE ने सार्वजनिक एजेंसियों के लिए मंजूरीयों सहित नीतियों एवं कार्यविधियां तैयार की हैं, जिन्हें राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करता है कि उसकी नीतियों व कार्यविधियों का पालन किया जाता है, एवं गोपनीयता की शर्तों को IDEA तथा FERPA के अनुसार पूरा किया जाता है।

व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना की गोपनीयता की आवश्यकताओं से पूर्ण परिचित अभिभावकों को समुचित नोटिस किस प्रकार प्रदान किया जाए के स्थान पर प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी के पास प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसमें शामिल हैं:

- उस सीमा का विवरण जिस तक नोटिस राज्य में विभिन्न जनसंख्या समूहों की मातृभाषा में दिया जाता है;
- उन बच्चों का विवरण जिनके बारे में व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना रखी जाती है, एवं मांगी गई सूचना का प्रकार;
- उन नीतियों एवं कार्यविधियों का सारांश जिनका प्रतिभागी एजेंसियों को व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना के भंडारण, तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण, सूचना रखने व नष्ट करने के संबंध में पालन करना चाहिये;
- अभिभावक द्वारा सहमति प्रदान करने से इंकार करने पर प्रयोग की जाने वाली नीतियों एवं कार्यविधियों का विवरण; एवं
- FERPA के अंतर्गत अधिकारों सहित इस सूचना से संबंधित अभिभावकों एवं बच्चों के समस्त अधिकारों का विवरण एवं 34 C.F.R. §99 में अधिनियमों को लागू करना।

किसी महत्वपूर्ण पहचान, स्थिति, अथवा मूल्यांकन गतिविधि से पहले, गतिविधि के पूरे अधिकार क्षेत्र में अभिभावकों को सूचित करने के लिए नोटिस को समुचित प्रसारण वाले समाचार पत्रों या अन्य मीडिया, या दोनों में प्रकाशित अथवा घोषित किया जाना चाहिए।

### **सुलभता अधिकार**

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी किसी बच्चे के अभिभावकों को बच्चे से संबंधित किसी शैक्षणिक अभिलेख के निरीक्षण एवं समीक्षा की अनुमति देगी जो एजेंसी द्वारा बच्चे की पहचान, मूल्यांकन, एवं बच्चे की शैक्षणिक भर्ती तथा FAPE के प्रावधान के बारे में एकत्रित, रखे अथवा प्रयोग किये जाते हैं। सार्वजनिक एजेंसी बिना अनावश्यक देरी के अनुरोध का पालन करेगी तथा IEP के बारे में किसी बैठक, या किसी आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया से पहले, एवं किसी भी हालत में अनुरोध करने के बाद 45 दिन से अधिक का समय नहीं लेगी।

इस धारा के अंतर्गत शैक्षणिक अभिलेखों के निरीक्षण व समीक्षा के अभिभावक के अधिकार में निम्नलिखित के लिए अधिकार शामिल हैं:

- अभिलेखों की व्याख्याओं तथा रूपांतरों के लिए संगत अनुरोधों पर प्रतिभागी एजेंसी की ओर से जवाब;
- एजेंसी से सूचना वाले अभिलेखों की प्रतियां प्रदान करने हेतु अनुरोध, यदि उन प्रतियों को प्रदान न किया जाना अभिभावकों को उनके अभिलेखों का निरीक्षण करने व समीक्षा करने के अधिकार से रोकता है; एवं
- अभिलेखों के निरीक्षण व समीक्षा हेतु अभिभावकों का प्रतिनिधि रखना।

सार्वजनिक एजेंसी मान सकती है कि अभिभावकों के पास अपने बच्चे से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण व समीक्षा का अधिकार है जब तक कि सार्वजनिक एजेंसी को सूचित न किया जाये कि संरक्षण, अलगाव, तथा तलाक जैसे मामलों पर लागू राज्य कानून के अंतर्गत अभिभावकों को इसका अधिकार नहीं है।

### **सुलभता संबंधी रिकॉर्ड**

प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों व सार्वजनिक एजेंसी के अधिकृत कर्मचारियों के अलावा, IDEA के भाग बी के अंतर्गत एकत्रित किये गये, अथवा प्रयोग किये गये शैक्षणिक अभिलेखों की सुलभता पाने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, रिकॉर्ड सुलभ कराये जाने की तारीख एवं उद्देश्य जिसके लिए वह व्यक्ति अभिलेखों को प्रयोग करने हेतु अधिकृत है, शामिल होंगे। यदि किसी शैक्षणिक अभिलेख में एक से अधिक बच्चे के बारे में सूचना है तो उन बच्चों के अभिभावकों को केवल अपने बच्चे से संबंधित सूचना के निरीक्षण व समीक्षा करने का अथवा उस विशिष्ट सूचना के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार है। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी, अनुरोध पर, अभिभावकों को एजेंसी द्वारा एकत्रित किये गये, रखे गये, या प्रयोग किये गये शैक्षणिक अभिलेखों के प्रकार व स्थितियों की सूची प्रदान करेगी। प्रत्येक सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों के लिए करायी गयी

शैक्षणिक अभिलेखों की प्रतियों के लिए शुल्क मांग सकती है यदि शुल्क अभिभावकों के उन अभिलेखों के निरीक्षण व समीक्षा करने के अधिकार को प्रभावी रूप से बाधित नहीं करता। सार्वजनिक एजेंसी शैक्षणिक अभिलेखों से किसी सूचना की तलाश या पुनःप्राप्ति के लिए शुल्क नहीं मांग सकती।

### **अभिभावकों के अनुरोध पर अभिलेखों में संशोधन**

वे अभिभावक जो मानते हैं कि IDEA के अंतर्गत एकत्रित किये गये, रखे गये, अथवा प्रयोग किये गये शैक्षणिक अभिलेखों में सूचना गलत या भ्रामक है, अथवा बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वे सूचना रखने वाली एजेंसी को सूचना के संशोधन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। एजेंसी अनुरोध प्राप्त होने से तत्काल अवधि के अंदर सूचना के संशोधन के बारे में तय करेगी। यदि एजेंसी अनुरोध के अनुरूप सूचना में संशोधन करने को अस्वीकार करना तय करती है, तो यह अभिभावकों को अस्वीकृति की सूचना देगी एवं उन्हें शैक्षणिक अभिलेखों में सूचना को चुनौती की सुनवाई के अधिकार के बारे में बतायेगी। शैक्षणिक अभिलेखों में सूचना को चुनौती देने के संबंध में सुनवाई FERPA की कार्यविधियों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए जैसा कि 34 C.F.R. §99.22 में उल्लिखित है।

सार्वजनिक एजेंसी, अनुरोध पर, शैक्षणिक अभिलेखों में सूचना के प्रति चुनौती को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि यह सूचना गलत या भ्रामक नहीं है, अथवा बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। यदि सुनवाई के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक एजेंसी तय करती है कि सूचना गलत या भ्रामक है, अथवा बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन करती है तो यह सूचना में तदनुसार संशोधन करेगी एवं पालकों को लिखित में इसकी सूचना देगी। यदि सुनवाई के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक एजेंसी तय करती है कि सूचना गलत या भ्रामक नहीं है, अथवा बच्चे की निजता या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती तो यह अभिभावकों को बच्चे के संबंध में रखे गये अभिलेखों में सूचना पर टिप्पणी करते हुए अथवा सार्वजनिक एजेंसी के निर्णय से असहमत होने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य रखने के अधिकार के बारे में सूचित करेगी। बच्चे के अभिलेखों में रखा गया कोई भी स्पष्टीकरण:

- सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बच्चे के अभिलेखों के हिस्से के रूप में रखा जाना चाहिए जब तक कि अभिलेख या विवादित हिस्सा सार्वजनिक एजेंसी द्वारा रखा जाता है; व
- यदि बच्चे के अभिलेख या विवादित हिस्सा सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किसी पक्ष को प्रकट कर दिये जाते हैं, तो पक्ष को स्पष्टीकरण के बारे में भी बताना चाहिए।

### **सूचना को नष्ट करने की कार्यविधियां**

जब IDEA के अंतर्गत एकत्रित की गयी, रखी गयी, या प्रयोग की गयी व्यक्तिगत रूप से पहचानी जाने योग्य सूचना की बच्चे को शैक्षणिक सेवायें प्रदान करने के लिए ओर आगे जरूरत नहीं है, तो सार्वजनिक एजेंसी को इस बारे में अभिभावकों को सूचित करने की जरूरत है। अभिभावकों के अनुरोध पर सूचना नष्ट कर दी जानी चाहिए। तथापि बिना किसी समय सीमा के, बच्चे का नाम, पता, व फोन नंबर, बच्चे की श्रेणियां, उपस्थिति अभिलेख, कक्षायें जिनमें वह उपस्थित रहा, पूरे किये गये श्रेणी स्तर एवं पूरे किये गये वर्ष का एक स्थायी रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

### **बच्चों के अधिकार**

FERPA के अधिनियमों के अंतर्गत अभिभावकों के उनके बच्चों के शैक्षणिक अभिलेखों से संबंधित अधिकार बच्चे को हस्तांतरित हो जाते हैं जब बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाती है, जब तक कि बच्चे की विकलांगता राज्य कानून के अंतर्गत बच्चे को अयोग्य न बनाती हो। यदि IDEA के भाग बी के अंतर्गत अभिभावकों को दिये गये अधिकार बालिग होने की आयु प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो शैक्षणिक अभिलेखों से संबंधित अधिकार भी बच्चे को हस्तांतरित हो जाने चाहियें। तथापि, सार्वजनिक एजेंसी को IDEA के अंतर्गत आवश्यक नोटिस विद्यार्थी एवं अभिभावकों को प्रदान करना चाहिए। अधिक विशिष्ट जानकारी के लिये कृपया बालिग होने की आयु पर अभिभावकों के अधिकारों का हस्तांतरण का संदर्भ लें।

### **अनुशासनात्मक सूचना**

सार्वजनिक एजेंसी बच्चे के अभिलेखों में बच्चे के विरुद्ध की गयी किसी वर्तमान या पूर्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की विवरणी शामिल कर सकती है एवं इस विवरणी को उस हद तक संप्रेषित कर सकती है जिस हद तक गैर विकलांग बच्चों के अभिलेखों में अनुशासनात्मक सूचना शामिल व संप्रेषित की जाती है। विवरणी में बच्चे द्वारा किया गया व्यवहार जिसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जरूरत थी, की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण, एवं अन्य कोई सूचना जो बच्चे की या बच्चे के साथ

शामिल अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुसंगत हो, शामिल किये जा सकते हैं। यदि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित हो जाता है, तो बच्चे के किसी भी संप्रेषित अभिलेख में बच्चे का वर्तमान IEP एवं बच्चे के विरुद्ध वर्तमान या पूर्व में की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की विवरणी दोनों शामिल होने चाहिये।

### विकलांग विद्यार्थियों में अनुशासन

*यदि सार्वजनिक एजेंसी बच्चों के लिए निश्चित अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है तो अभिभावकों को अपने बच्चे की विशिष्ट प्रक्रियाओं और सुरक्षा का अधिकार है। विद्यार्थी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एक स्कूल वर्ष में 10 दिनों से अधिक के लिए बच्चे के निष्कासन के बाद, एक सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा बच्चे को शैक्षणिक सेवा अवश्य दी जानी चाहिए।*

#### परिभाषायें

इस भाग के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषायें लागू होती हैं:

- नियंत्रित पदार्थ का अर्थ है नशीली दवाई अथवा कंट्रोल्ड सबस्टेन्सेज़ एक्ट, 21 U.S.C. 812(c) की धारा 202(c) में अनुसूचियों I, II, III, IV, या V के अंतर्गत चिन्हित अन्य पदार्थ।
- अवैध दवाई का अर्थ है नियंत्रित पदार्थ, परंतु इसमें वह पदार्थ शामिल नहीं है जो किसी लाइसेंसशुदा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने वाले व्यावसायिक व्यक्ति की देखरेख में कानूनी रूप से रखा या प्रयोग किया जाता है, अथवा जो IDEA के अंतर्गत अन्य किसी प्राधिकार के अधीन अथवा संघीय कानून के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कानूनी रूप से रखा या प्रयोग किया जाता है।
- अस्त्र का अर्थ वही है जो युनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 18 की धारा 930 की प्रथम उपधारा (g) के पैराग्राफ (2) के अंतर्गत 'घातक अस्त्र' का है।
- गंभीर शारीरिक चोट का अर्थ है ऐसी शारीरिक चोट जिसमें मृत्यु, अत्यंत शारीरिक पीड़ा, विस्तारित और स्पष्ट विरूपण, अथवा किसी शारीरिक हिस्से, अंग, या मानसिक योग्यता के कार्य करने की व्यापक क्षति होने का पर्याप्त जोखिम शामिल हो (18 U.S.C. 13645(h)(3))

#### स्कूल कर्मियों के प्राधिकार

स्कूल कर्मी किसी विकलांग बच्चे को जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है, सभी बच्चों के लिये प्रयोग की जाने वाली अनुशासन नीति के अनुरूप स्कूल नियमों का उल्लंघन करने के लिये वर्तमान शैक्षणिक भर्ती से किसी या निलंबन के लिये, एक बार में लगातार 10 स्कूली दिनों से अधिक नहीं, की अवधि के लिये निकाल सकते हैं, जब तक कि यह निर्धारित नहीं होता कि ऐसे निकाले जाने से भर्ती की स्थिति में परिवर्तन आता है।

- अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था
- अन्य व्यवस्था; या
- निलंबन

जब ये निष्कासन (एक बार में 10 दिन या उससे कम) एक स्कूल वर्ष में 10 दिनों से अधिक की अवधि के हो जाते हैं, तो बच्चे की IEP टीम यह निर्धारित करती है कि सामान्य पाठ्यक्रम में प्रगति करने के लिये और IEP के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिये योग्य बनाने हेतु किस सीमा तक सेवाओं की ज़रूरत है।

स्कूल कर्मी हर मामले की अनोखी परिस्थितियों के आधार पर विचार कर सकते हैं कि क्या आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले विकलांग विद्यार्थी के लिये भर्ती में परिवर्तन उचित है। भर्ती के परिवर्तन में, 10 लगातार दिनों की अवधि के लिये निकाला जाना या निकाले जाने की श्रृंखला जिससे निष्कासन का एक नमूना बनता है, शामिल है। जब अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण भर्ती में परिवर्तन होता है, तो निर्णय लिये जाने के दिन अभिभावकों को नोटिस दिया जाता है और इसमें कार्यविधि संबंधी सावधानियों का समावेश होना चाहिए।

#### दृढ़ता अभिव्यक्ति

आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण भर्ती संबंधी परिवर्तन के निर्णय के 10 स्कूल दिनों के अंदर, बच्चे के अभिभावक और IEP टीम को IEP, अध्यापक के अवलोकनों और अभिभावक द्वारा दी गई किसी संगत सूचना सहित सभी संबद्ध जानकारी की निम्नलिखित बातों का निर्धारण करने के लिये बच्चे की फाइल की समीक्षा करनी चाहिए:

- कारण द्वारा या बच्चे की विकलांगता से सीधा और वास्तविक संबंध था
- बच्चे के IEP कार्यान्वयन में सार्वजनिक एजेंसी की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम।

अगर IEP टीम यह निर्धारित करती है कि उपरोक्त दोनों वक्तव्यों में से कोई वक्तव्य लागू होता है, तो आचरण बच्चे की विकलांगता की अभिव्यक्ति माना जाएगा।

अगर बच्चे का आचरण बच्चे की विकलांगता की अभिव्यक्ति था, IEP तो टीम को:

- कार्य संबंधी व्यवहार का आकलन करना चाहिए और बच्चे के लिए व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना को लागू करना चाहिए, अगर सार्वजनिक एजेंसी ने पहले ऐसा नहीं किया था;
- व्यवहार संबंधी योजना की समीक्षा करनी चाहिए अगर बच्चे के लिए पहले से ही ऐसी कोई व्यवहार संबंधी योजना है और उस व्यवहार को ठीक करने की ज़रूरत के हिसाब से योजना को संशोधित करना चाहिए; तथा
- बच्चे को उस शैक्षणिक भर्ती में वापिस कर देना चाहिए जिससे उसे निकाला गया था, जब तक कि अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप योजना के संशोधन के हिसाब से के रूप में भर्ती में परिवर्तन के लिए सहमत न हों, सिवाय उस स्थिति के जब बच्चे को नशीली दवाओं, अस्त्र या गंभीर शारीरिक चोट के कारण निकाल कर किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था में रखा गया है।

अगर व्यवहार बच्चे की विकलांगता की अभिव्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए गैर विकलांग बच्चों पर लागू संबद्ध अनुशासनात्मक कार्यविधियों को उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जैसी वे अन्य बच्चों के लिए लागू होंगी, सिवाय इसके कि समुचित शैक्षणिक सेवायें जारी रहनी चाहिए।

### **भर्ती में परिवर्तन**

जब बच्चे को 10 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निकाल दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप भर्ती में परिवर्तन होता है, चाहे उसका व्यवहार विकलांगता की अभिव्यक्ति हो या नहीं, या जब बच्चे को नशीली दवाओं, अस्त्रों या गंभीर शारीरिक चोट के कारण हटा कर किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था (IAES) में रखा जाता है, तो बच्चे को सेवाओं का मिलना जारी रहता है, हालांकि अन्य व्यवस्था में, ताकि वह सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हिस्सा लेना और IEP में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना जारी रख सके। बच्चे को, जैसा समुचित हो, कार्य संबंधी व्यवहार का आकलन और व्यवहार हस्तक्षेप सेवाएं तथा व्यवहार उल्लंघन के निवारण के लिए तैयार किए गए संशोधन भी मिलने चाहिए ताकि व्यवहार संबंधी उल्लंघन दोबारा न हो। IEP टीम, समुचित सेवाओं का और उस स्थान का जिसमें ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी, निर्धारण करती हैं।

### **अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था**

स्कूल कर्मी बच्चे को निकाल कर 45 दिनों तक किसी अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था में रख सकते हैं चाहे बच्चे का व्यवहार उसकी विकलांगता की अभिव्यक्ति को निर्धारित करता हो या नहीं, यदि बच्चा:

- राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल में, स्कूल परिसर में, या किसी स्कूली उत्सव में कोई अस्त्र लेकर आता है या अस्त्र रखता है;
- राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल में, स्कूल परिसर में, या किसी स्कूली उत्सव में जानबूझ कर अवैध नशीली दवाई रखता है या प्रयोग करता है अथवा नियंत्रित पदार्थ को बेचता है या बिक्री के लिए प्रयास करता है; या
- राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल में, स्कूल परिसर में, या किसी स्कूली उत्सव में उसने किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाई है।

### **अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपील**

यदि अभिभावक अभिव्यक्ति के निर्धारण संबंधी निर्णय से या अनुशासनात्मक कारणों के लिए भर्ती संबंधी किसी निर्णय से असहमत हैं तो वे ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग (OHA) और सार्वजनिक एजेंसी के यहां आवश्यक शिकायत प्रक्रिया फाइल कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक एजेंसी ऐसा मानती है कि बच्चे की वर्तमान भर्ती को बनाए रखने से बच्चे को या दूसरे लोगों को चोट पहुंचने की काफी संभावना है, तो सार्वजनिक एजेंसी ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग (OHA) और अभिभावक के यहां आवश्यक शिकायत प्रक्रिया फाइल कर सकती है।

आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज (ALJ) द्वारा विवाद सुलझाना में वर्णित कार्यविधियों का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। सुनवाई आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की तारीख से 20 स्कूली दिनों के अंदर होगी और सुनवाई के बाद 10 स्कूली दिनों में इससे निर्धारण हो जाएगा।

अनुशासनात्मक अपील के निर्धारण में ALJ :

- बच्चे को उस भर्ती में वापिस भेज सकता है जिससे उसे निष्कासित किया गया था; या
- बच्चे की भर्ती में परिवर्तन करके उसे अधिक से अधिक 45 दिनों तक किसी समुचित अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था में रखने का आदेश दे सकता है यदि ALJ यह निर्धारित करता है कि ऐसे बच्चे की वर्तमान भर्ती को बनाए रखने से बच्चे या अन्य लोगों को चोट पहुंचने की काफी संभावना है।

जब अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा आवश्यक शिकायत प्रक्रिया का अनुरोध किया जाता है, तो ALJ के निर्णय तक या जब तक दी गई समयावधि समाप्त नहीं हो जाती (45 दिनों से अधिक नहीं), जो भी पहले हो, बच्चा अंतरिम वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था में रहता है, जब तक कि अभिभावक और स्कूल अधिकारी अन्यथा सहमत न हों।

### **वे बच्चे जो अभी तक योग्य निर्धारित नहीं हुए हैं**

वे बच्चे जो विशेष शिक्षा के योग्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और जो किसी ऐसे व्यवहार में लिप्त हैं जिसने किसी नियम अथवा आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो वे प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों में से किसी की मांग कर सकते हैं, यदि सार्वजनिक एजेंसी के संज्ञान में था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यवहार से पहले बच्चा एक विकलांग बच्चा था। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यवहार से पहले बच्चा एक विकलांग बच्चा था, यह सार्वजनिक एजेंसी को विदित हुआ माना जाएगा यदि:

- अभिभावक ने सार्वजनिक एजेंसी के देखरेख करने वाले या प्रशासनिक अधिकारियों को, लिखित रूप में यह चिंता जतायी है कि बच्चे को विशेष शिक्षा व संबंधित सेवाओं की जरूरत है;
- अभिभावकों ने मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया है; अथवा
- बच्चे के अध्यापक या स्कूल के अन्य लोगों ने बच्चे द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के किसी नमूने के बारे में, सीधे विशेष शिक्षा निदेशक या सार्वजनिक एजेंसी के दूसरे देखरेख संबंधी अधिकारियों से चिंता जतायी है।

सार्वजनिक एजेंसी को विदित हुआ नहीं माना जाएगा यदि:

- अभिभावकों ने सार्वजनिक एजेंसी को अपने बच्चे के मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी;
- अभिभावकों ने सार्वजनिक एजेंसी को विशेष शिक्षा सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी; या
- बच्चे का मूल्यांकन किया गया है और यह निर्धारित किया गया कि बच्चा/बच्ची IDEA के अंतर्गत विकलांग नहीं है।

यदि बच्चे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व, सार्वजनिक एजेंसी के संज्ञान में नहीं है कि बच्चा विकलांग है तो बच्चे के बारे में वही अनुशासनात्मक कदम उठाये जा सकते हैं जो समान व्यवहारों में लिप्त होने वाले गैर-विकलांग बच्चों पर लागू होते हैं।

यदि अभिभावक अनुशासनात्मक कदमों की अवधि के दौरान मूल्यांकन के लिए अनुरोध करते हैं, तो मूल्यांकन जल्दी से किया जाना चाहिए। परिणाम आने तक बच्चा स्कूल अधिकारियों द्वारा निर्धारित शैक्षणिक भर्ती में रहता है। यदि सार्वजनिक एजेंसी के मूल्यांकन और अभिभावकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, बच्चे को विकलांग निर्धारित किया जाता है, तो सार्वजनिक एजेंसी विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्रदान करेगी और अनुशासन के संबंध में सभी कार्यविधि संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन करेगी।

### **कानून लागू करने वाले और न्यायिक अधिकारियों को अनुमोदन और उनके द्वारा कार्यवाही**

IDEA सार्वजनिक एजेंसियों को किसी अपराध की रिपोर्ट समुचित अधिकारियों और कानून लागू करने वालों को करने को मना नहीं करती। न्यायिक अधिकारी किसी विकलांग बच्चे के द्वारा किए गए अपराधों के लिए संघीय व राज्य कानूनों को लागू करने में अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारी का प्रयोग कर सकते हैं। अपराध रिपोर्ट करने वाली कोई भी एजेंसी समुचित अधिकारियों को उस सीमा तक विशेष शिक्षा और अनुशासनात्मक कार्यवाही के रिकॉर्ड्स की प्रतियां प्रदान करेगी जिस सीमा तक नीति में वर्णित

COMAR 13A.08.02 के द्वारा बच्चे के रिकॉर्ड्स अभिभावक की सहमति से, या अभिभावक की सहमति के अपवादों के अनुरूप दिए जाने की अनुमति है।

## अभिभावकों द्वारा बच्चों की सार्वजनिक खर्च पर निजी स्कूल में एकपक्षीय भर्ती

*IDEA को विकलांग बच्चे की निजी स्कूल विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाओं सहित शिक्षा की कीमत देय करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है यदि सार्वजनिक एजेंसी निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध कराती है और अभिभावक अपने बच्चे की निजी स्कूल में भर्ती का चुनाव करते हैं।*

IDEA के अनुसार किसी सार्वजनिक एजेंसी को किसी विकलांग बच्चे की निजी स्कूल में विशेष शिक्षा व संबंधित सेवाओं सहित, शिक्षा की लागत का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है यदि उस सार्वजनिक एजेंसी ने बच्चे को निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ध कराया था, और अभिभावकों ने बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती करने को चुना। हालांकि, संघीय अधिनियमों के अनुसार सार्वजनिक एजेंसी बच्चे की गिनती उनमें करेगा जिनको अभिभावकों द्वारा निजी स्कूल में भर्ती कराया गया है। FAPE का उपलब्धता एवं वित्तीय जिम्मेदारियों के संबंध में पालकों व सार्वजनिक एजेंसियों के बीच के विवाद IDEA के अंतर्गत आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया कार्यविधियों के विषय हैं। अधिक विशिष्ट सूचना के लिए कृपया “विवाद सुलझाना” का संदर्भ लें।

यदि किसी ऐसे विकलांग बच्चे के अभिभावक, जिन्होंने पूर्व में किसी सार्वजनिक एजेंसी के प्राधिकार के अंतर्गत विशेष शिक्षा व संबंधित सेवायें प्राप्त की हैं, सार्वजनिक एजेंसी की सहमति या अनुमोदन के बिना बच्चे को किसी निजी प्री-स्कूल, प्राथमिक, या माध्यमिक स्कूल में नामांकित करते हैं, तो ALJ या न्यायालय सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे के अभिभावकों को उस नामांकन की लागत की प्रतिपूर्ति करने को कह सकते हैं यदि ALJ या न्यायालय पाता है कि सार्वजनिक एजेंसी ने उस नामांकन से पूर्व समय रहते बच्चे को FAPE उपलब्ध नहीं कराया, और वह निजी भर्ती समुचित है। ALJ द्वारा अभिभावकों द्वारा करायी गयी भर्ती को उचित पाया जा सकता है भले ही वह सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर लागू राज्य मानकों को पूरा न करती हो।

### प्रतिपूर्ति की सीमाएं

किसी ALJ या न्यायालय द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कम की जा सकती है या नकारी जा सकती है यदि:

- सार्वजनिक स्कूल से बच्चे को निकाले जाने से पहले की सबसे अंतिम IEP बैठक में जिसमें अभिभावक शामिल हुए थे, अभिभावकों ने IEP टीम को सूचित नहीं किया कि वे अपन बच्चे को सार्वजनिक खर्च पर किसी निजी स्कूल में नामांकित करने की इच्छा सहित सार्वजनिक एजेंसी द्वारा FAPE प्रदान करने के लिए प्रस्तावित भर्ती को अस्वीकार कर रहे हैं; अथवा
- सार्वजनिक स्कूल से बच्चे को निकालने से कम से कम दस (10) व्यावसायिक दिन (छुट्टी में आने वाले व्यावसायिक दिन सहित) पहले, अभिभावकों ने सार्वजनिक एजेंसी को बच्चे की सार्वजनिक भर्ती के संबंध में अपनी चिंताओं सहित बच्चे को निकालने के अपने इरादे का लिखित नोटिस नहीं दिया; अथवा
- यदि सार्वजनिक स्कूल से अभिभावकों द्वारा बच्चे को निकालने से पहले, सार्वजनिक एजेंसी ने बच्चे के मूल्यांकन करने की इच्छा के बारे में पूर्व नोटिस के द्वारा अभिभावकों को सूचित किया था (मूल्यांकन के उद्देश्य सहित जो समुचित व तक्रसंगत था), परंतु अभिभावकों ने मूल्यांकन हेतु बच्चे को उपलब्ध नहीं कराया; अथवा
- अभिभावकों द्वारा की गई कार्यवाही अतक्रसंगत होने के न्यायिक निर्णय पर।

ऊपर वर्णित नोटिस की आवश्यकताओं के बावजूद, लागत की प्रतिपूर्ति:

- अभिभावकों द्वारा ऐसा नोटिस देने में विफल रहने पर कम नहीं की जाएगी या नकारी नहीं जाएगी, यदि:
  - सार्वजनिक एजेंसी ने अभिभावक को ऐसा नोटिस देने से रोका था,
  - अभिभावकों को ऊपर वर्णित IDEA नोटिस की आवश्यकताओं के अंतर्गत नोटिस नहीं मिला था,
  - ऊपर वर्णित नोटिस के अनुपालन से बच्चे को शारीरिक क्षति पहुंच सकती थी, तथा
- न्यायालय या ALJ के विवेक पर, अभिभावकों द्वारा ऐसा नोटिस देने में विफल रहने पर कम नहीं की जाएगी या नकारी नहीं जाएगी, यदि:
  - अभिभावक अशिक्षित हैं और अंग्रेजी में नहीं लिख सकता है, या
  - ऊपर वर्णित नोटिस का अनुपालन बच्चे को गंभीर भावनात्मक क्षति पहुंचा सकता है।

## व्यस्क होने की आयु पर अभिभावकों के अधिकारों का हस्तांतरण

**मैरीलैंड में, कुछ सीमित परिस्थितियों के अतिरिक्त अभिभावकीय अधिकार विकलांग बच्चे को व्यस्क होने पर हस्तांतरित नहीं होते हैं।**

मैरीलैंड कानून के अंतर्गत, कुछ सीमित परिस्थितियों में, IDEA के अंतर्गत अभिभावकों को दिए गए समस्त अधिकार विकलांग बच्चे को हस्तांतरित हो जाएंगे। यह हस्तांतरण बच्चे की आयु 18 वर्ष होने पर होता है, यदि बच्चे को राज्य कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है **और** इस बात का प्रमाण है कि:

- अभिभावक उपलब्ध नहीं हैं या अज्ञात हैं, और बच्चे अनुरोध करता है कि अभिभावक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति के बजाय अभिभावकों के अधिकार बच्चे को हस्तांतरित कर दिए जाएं;
- पहले वर्ष में, अभिभावकों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बार-बार किए गए प्रयासों के बाद भी अभिभावकों ने बच्चे के लिए विशेष शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया;
- अभिभावकों ने विशेष शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से साफ रूप से इंकार कर दिया है;
- अभिभावक विशेष शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने के कारण, सुधार गृह में होने के कारण, अथवा गंभीर बीमारी के कारण या एक अथवा दोनों की शारीरिक दुर्बलता के कारण भाग नहीं ले सकते तथा अभिभावकों ने अधिकारों को बच्चे को हस्तांतरित करने के लिए सहमति दे दी है; अथवा
- अभिभावक अपने नियंत्रण से बाहर की असाधारण परिस्थितियों के कारण विशेष शिक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते तथा उन्होंने अधिकारों को बच्चे को हस्तांतरित करने के लिए सहमति दे दी है; अथवा
- बच्चा अभिभावकों के घर से बाहर रह रहा है और किसी दूसरी सार्वजनिक संस्था की देखरेख व संरक्षण में नहीं है।

यदि किसी विकलांग बच्चे के अभिभावक जिनके साथ बच्चा रहता है, बच्चे की 18 वर्ष की आयु पर बच्चे को अधिकारों के हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं होते और बच्चा राज्य कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तो कोई-सा भी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अधिकार हस्तांतरित किए जाने चाहिए, आवश्यक प्रक्रिया के लिए आवेदन दर्ज कर सकता है।

यदि किसी विकलांग बच्चे का प्रतिनिधित्व संघीय व राज्य कानूनों व अधिनियमों के अनुसार अभिभावक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है तो सार्वजनिक एजेंसी संघीय व राज्य कानून के अंतर्गत बच्चा तथा अभिभावक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, दोनों को आवश्यक नोटिस प्रदान करेगी। IDEA के अंतर्गत अभिभावक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को प्रदत्त अन्य सभी अधिकार बच्चे को हस्तांतरित हो जाएंगे यदि बच्चा राज्य कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तथा बच्चा अधिकारों के हस्तांतरण हेतु अनुरोध करता है।

## विवाद सुलझाना

**निम्न प्रक्रियाएं बच्चे के विशेष शिक्षा प्रोग्राम एवं संबंधित सेवाओं के संबंध में विवाद सुलझाने के लिए अभिभावकों और सार्वजनिक एजेंसियों को उपलब्ध प्रक्रिया का विवरण देती हैं। इन विकल्पों में मध्यस्थता, राज्य शिकायत, एवं आवश्यक शिकायत प्रक्रिया शामिल है।**

### मध्यस्थता

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकलांग बच्चा के अभिभावकों और बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी के बीच हुए विवादों को सुलझाती है।

ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग (OAH) का कर्मचारी जो प्रभावी मध्यस्थता तकनीक में योग्य हो, मध्यस्थता करता है। OAH द्वारा चुने गए व्यक्ति के उसमें कोई व्यक्तिगत या पेशेवर हित नहीं होंगे।

- मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों के साथ बैठक के खर्चे सहित, अभिभावक या बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी पर मध्यस्थता की लागत नहीं है।
- मध्यस्थता की प्रार्थना बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी और OAH द्वारा की जाती है। मध्यस्थता की प्रार्थना फाइल करने में अभिभावकों की सहायता करने के लिए सार्वजनिक एजेंसी के पास एवं MSDE की वेबसाइट

www.marylandpublicschools.org पर फॉर्म उपलब्ध है। आगे सहायता के लिए, सार्वजनिक एजेंसी के विशेष शिक्षा कार्यालय या MSDE की डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेंशन सर्विस के (410) 767-7770 नं. पर संपर्क करें।

- अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी को मध्यस्थता के दौरान सलाहकार साथ और सलाह दी जा सकती है।
- मध्यस्थता सत्र सामान्यतः अभिभावकों के लिए उपयुक्त स्थान पर और सार्वजनिक एजेंसी की लिखित प्रार्थना प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- मध्यस्थता सत्र बंद प्रक्रियाएं हैं। मध्यस्थता के दौरान हुई चर्चा गोपनीय होनी चाहिए और किसी अनुवर्ती आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया या वैधानिक कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं की जा सकती। मध्यस्थता आरंभ करने से पहले अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी को एक गोपनीय प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जा सकता है।
- मध्यस्थता में पार्टियों द्वारा एक अनुबंधित लिखित अनुबंध के रूप में जो ऐसे मामले को सुनने का अधिकार रखने वाले किसी भी राज्य न्यायालय या संघीय जिला न्यायालय में लागू हो में रखा जाना चाहिए।
- सार्वजनिक एजेंसी, अभिभावक की आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की सुनवाई के अभिभावकीय अधिकार की मनाही या देरी में मध्यस्थता का प्रयोग नहीं कर सकती।

### मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए बैठक

सार्वजनिक एजेंसी उन अभिभावकों को जो मध्यस्थता प्रक्रिया का प्रयोग करना नहीं चुनते, उनके लिए सुविधाजनक समय व स्थान पर मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ बताएगी एवं अभिभावकों को इस प्रक्रिया के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी।

### राज्य शिकायत एवं आवश्यक शिकायत प्रक्रिया में अंतर

*मध्यस्थता के साथ, अभिभावकों को सार्वजनिक एजेंसी के साथ विवाद सुलझाने की प्रक्रिया में राज्य शिकायत प्रक्रिया या आवश्यक शिकायत प्रक्रिया प्रयोग करने का अधिकार है। इन विकल्पों में अलग नियम व प्रक्रियाएं हैं।*

IDEA नियमों में राज्य शिकायतों एवं आवश्यक शिकायत प्रक्रिया के लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसा कि नीचे वर्णित है, कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक एजेंसी द्वारा किसी IDEA ज़रूरत के कथित उल्लंघन में राज्य शिकायत दर्ज करा सकती है। केवल अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी, बच्चे की पहचान, मूल्यांकन अथवा विकलांग बच्चे की शैक्षणिक भर्ती या निःशुल्क समुचित सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) के प्रावधान से संबंधित किसी विषय पर आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज कर सकते हैं।

MSDE स्टाफ को सामान्यतः 60 कैलेंडर दिनों की समयावधि में राज्य शिकायत अवश्य सुलझानी चाहिए, जब तक समयावधि उपयुक्त रूप से बढ़ नहीं जाती। एक ALJ को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया (यदि संकल्प बैठक या मध्यस्थता के द्वारा नहीं सुलझती) सुननी चाहिए और लिखित निर्णय 45 कैलेंडर दिनों के भीतर संकल्प अवधि के अंत में जारी करना चाहिए जब तक ALJ अभिभावकों की प्रार्थना पर अथवा सार्वजनिक एजेंसी की प्रार्थना पर समयावधि में विशिष्ट विस्तार नहीं देती।

इन विकल्पों के पुर्नावलोकन और तुलना के लिए, इस दस्तावेज के संलग्नक देखें।

### राज्य शिकायत

*व्यक्ति और संस्थाओं को मैरीलैंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन (MSDE) के साथ राज्य शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। राज्य के लिए जांच करने के क्रम में, लिखित शिकायत में IDEA नियमों में ज़रूरी विशिष्ट मानक अवश्य अपनाने चाहिए।*

यदि एक व्यक्ति या संस्था यह मानती है सार्वजनिक एजेंसी ने संघीय अथवा राज्य कानून या विशेष शिक्षा ज़रूरत से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है अथवा सार्वजनिक एजेंसी ने आवश्यक सुनवाई निर्णय लागू नहीं किया, तो राज्य शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत MSDE के साथ और सहायक राज्य सुप्रीन्टेंडेंट, डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन/अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज़, MSDE, 200 वेस्ट बाल्टीमोर स्ट्रीट, बाल्टीमोर, मैरीलैंड 21201 के पते पर होनी चाहिए। व्यक्ति या संस्था जो MSDE के साथ राज्य शिकायत दर्ज करता है उसे उसी समय सार्वजनिक एजेंसी को शिकायत की एक प्रति भेजनी चाहिए। दर्ज शिकायत, विस्तृत प्रक्रिया और फॉर्म MSDE की वेबसाइट [www.marylandpublicschools.org](http://www.marylandpublicschools.org) पर उपलब्ध हैं या विभाग की शिकायत जांच और आवश्यक प्रक्रिया ब्रांच के 410-767-7770 नं. पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य शिकायत में अवश्य शामिल होना चाहिए:

- सार्वजनिक एजेंसी द्वारा संघीय या राज्य कानून अथवा नियमों की ज़रूरतों के उल्लंघन का विवरण;
- वह तथ्य जिन पर विवरण आधारित है;
- राज्य शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति/संस्था के लिए हस्ताक्षर और संप्रक्र सूचना; और
- यदि राज्य शिकायत एक विशिष्ट बच्चे के संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाती है:
  - बच्चे का नाम और निवास का पता;
  - बच्चे के स्कूल का नाम;
  - बेघर बच्चे या किशोर के मामले में, बच्चे के लिए उपलब्ध संप्रक्र सूचना, और बच्चे के स्कूल का नाम;
  - बच्चे की समस्या से संबंधित तथ्यों सहित, समस्या की प्रकृति का विवरण; और
  - राज्य शिकायत दर्ज करते समय समस्या का प्रस्तावित संकल्प

राज्य शिकायत को उल्लंघन की कथित शिकायत करनी चाहिए परंतु ये शिकायत राज्य को प्राप्त होने से एक वर्ष पहले से ज्यादा नहीं होना चाहिए। MSDE द्वारा अपनी प्राप्ति या राज्य शिकायत प्राप्ति के 60 कैलेंडर दिनों के भीतर जारी की जाती हैं, और 60 दिनों की समयावधि तक विस्तारित की जा सकती हैं यदि:

- विशिष्ट शिकायत से संबंधित अपवादित परिस्थितियां विद्यमान हों; अथवा
- अभिभावक और सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता या विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीके प्रयोग करने के लिए स्वैच्छिक रूप से समय बढ़ाने के लिए तैयार हों।

न्यूनतम MSDE करेगी:

- यदि आवश्यक हो तो, एक स्थान पर स्वतंत्र निरीक्षण;
- राज्य शिकायत में आरोपों के बारे में शिकायतकर्ता को मौखिक या लिखित रूप में अतिरिक्त सूचना जमा करने का अवसर प्रदान करना;
- सभी संबंधित सूचनाओं की समीक्षा और एक स्वतंत्र निर्धारण बनाना चाहे सार्वजनिक एजेंसी ने संघीय और राज्य कानूनों की शर्तों का उल्लंघन किया हो; अथवा
- शिकायतकर्ता और सार्वजनिक एजेंसी जो शिकायत में प्रत्येक आरोप का संबोधन करती है तथा तथ्य और निष्कर्षों का जांच परिणाम रखती है को लिखित निर्णय जारी करे।

निर्णय में अंतिम निर्णय और अंतिम निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं के कारण शामिल हैं, यदि आवश्यक हो तो, प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायक गतिविधियां, मध्यस्थता, और अनुपालन संशोधनात्मक कार्यकलापों को शामिल करें। यदि MSDE निर्धारित करती है कि सार्वजनिक एजेंसी उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने में नाकाम रहती है, तो अंतिम लिखित निर्णय संबोधित करेगा कि सार्वजनिक एजेंसी बच्चे की ज़रूरतों की उन उपयुक्त सेवाओं और सभी विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त भावी सेवाओं की अस्वीकृति की पुनःमध्यस्थता कैसे करती है।

### **राज्य शिकायत सुलझाना**

मध्यस्थता और विवाद सुलझाने के अन्य कम औपचारिक तरीके उपलब्ध और प्रोत्साहित किए जा सकते हैं। यदि पार्टियां शिकायत सुलझाती हैं, तो MSDE को संघीय नियमों के अंतर्गत निरीक्षण करने की ज़रूरत नहीं रहती है।

### **राज्य शिकायत, जो आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया का विषय है, को सुलझाना**

यदि MSDE राज्य शिकायत प्राप्त करती है जो आवश्यक शिकायत प्रक्रिया का भाग है, या राज्य शिकायत, कई मुद्दे जिनमें से एक या कई सुनवाई के भाग हैं रखती है, MSDE राज्य शिकायत के किसी भाग को आगे रख सकती है जिसका आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में संबोधन है जब तक इस आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया का निष्कर्ष न आ जाए। हालांकि, राज्य शिकायत में कोई भी मुद्दा जो आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया का भाग नहीं है, ऊपर वर्णित समयावधि व प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा सुलझाना चाहिए। यदि राज्य शिकायत में समान पार्टियों से संबंधित कोई मुद्दा उठाया जाता है जो पहले आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में निश्चित किया गया था, सुनवाई निर्णय बंध जाता है, और MSDE इस प्रभाव के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगी।

### आवश्यक शिकायत प्रक्रिया

*अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी बच्चे की पहचान, मूल्यांकन या शैक्षणिक भर्ती, अथवा निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्रावधान से संबंधित किसी भी विषय पर आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज कर सकती है।*

आवश्यक शिकायत प्रक्रिया उल्लंघन जो दो वर्ष से अधिक पहले न हुआ हो, कथित कार्यवाही जो आवश्यक शिकायत प्रक्रिया का आधार है तथा जिसके बारे में अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी जानती थी या जानना चाहिए था।

यह समयावधि लागू नहीं होती है यदि अभिभावक समयावधि के भीतर आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज नहीं कर सका क्योंकि सार्वजनिक एजेंसी ने विशिष्टतया: गलत प्रस्तुति की कि वह आवश्यक प्रक्रिया में पहचाने गए मुद्दों, या अभिभावक द्वारा रोकी गई सूचना जो IDEA के अंतर्गत प्रदान करना ज़रूरी था को सार्वजनिक एजेंसी सुलझा चुकी है।

आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज करने के लिए, अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी (या अभिभावक की अटॉर्नी अथवा सार्वजनिक एजेंसी की अटॉर्नी) को अन्य पार्टी और OAH को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया अवश्य दर्ज करनी चाहिए। शिकायत में नीचे वर्णित सभी विषय अवश्य होने चाहिए और अवश्य गोपनीय रखा जाना चाहिए।

अभिभावकों को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज करने में सहायता करने के लिए Request for Mediation and Due Process Complaint फॉर्म सार्वजनिक एजेंसी में जहां बच्चा स्कूल में उपस्थित होता है और MSDE की वेबसाइट। [www.marylandpublicschools.org](http://www.marylandpublicschools.org) पर उपलब्ध है। आगे सहायता के लिए, सार्वजनिक एजेंसी के विशेष शिक्षा कार्यालय अथवा MSDE की डिविजन ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज़ के (410) 767-7770 पर संपर्क करें।

### आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की विषय-वस्तु

आवश्यक शिकायत प्रक्रिया में अवश्य शामिल होना चाहिए:

- बच्चे का नाम;
- बच्चे के निवास (या, बेघर बच्चे के लिए उपलब्ध संपर्क सूचना) का पता
- बच्चे के स्कूल का नाम;
- बच्चे की शिक्षा (अर्थात्, स्थानीय स्कूल सिस्टम) के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी का नाम
- समस्या से संबंधित तथ्यों सहित बच्चे की प्रस्तावित या अस्वीकृत सूत्रपात अथवा बदलाव का विवरण; और
- समस्या का प्रस्तावित सुझाव विस्तार जानने के लिए और शिकायत के समय पार्टी को उपलब्ध हो।

अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी के पास आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया नहीं होती जब तक अभिभावक अथवा सार्वजनिक एजेंसी (या अभिभावक की अटॉर्नी अथवा सार्वजनिक एजेंसी की अटॉर्नी), इस सूचना सहित आवश्यक शिकायत प्रक्रिया न दर्ज कर दें।

### आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की प्रतिक्रिया

जब एक पार्टी आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज करती है, तो बच्चे की शिक्षा के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक एजेंसी:

- अभिभावक को निःशुल्क या न्यूनतम कीमत पर सूचना और अन्य उपलब्ध संबद्ध सेवाएं देंगी;
- कार्यविधि सावधानियां दस्तावेज की एक प्रति अभिभावक को प्रदान करेगी; और
- मध्यस्थता की उपलब्धता के बारे में अभिभावक को सूचना देगी।

यदि सार्वजनिक एजेंसी ने आवश्यक शिकायत प्रक्रिया में अभिभावक द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में अभिभावकों को पहले लिखित नोटिस नहीं भेजा हो तो, सार्वजनिक एजेंसी अभिभावकों को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया भेजेगी, जिसमें होगा:

- सार्वजनिक एजेंसी ने कार्यकलाप(ओं) को लेने के लिए प्रस्तावित या अस्वीकृत क्यों किया, इसका विवरण;
- अन्य विकल्पों का विवरण जिन पर सार्वजनिक एजेंसी ने विचार किया और उन विकल्पों को क्यों अस्वीकृत किया इसका कारण;
- इस भाग की कार्यविधि सावधानियों के अंतर्गत विकलांग बच्चे के अभिभावक को मिलने वाली सुरक्षा और, यदि यह नोटिस मूल्यांकन के लिए आरंभिक परामर्श नहीं है, तो कार्यविधि सावधानियों की एक प्रति पाने के तरीके का विवरण; और
- IDEA के प्रावधानों को समझने में सहायता पाने के लिए संप्रक्र के लिए अभिभावकों के लिए स्रोत।

यह प्रतिक्रिया सार्वजनिक एजेंसी को दावा करने से नहीं रोकती कि जहां उपयुक्त हो, अभिभावकों की आवश्यक शिकायत प्रक्रिया अपर्याप्त थी।

अन्य पार्टी को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया (अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी) में अन्य पार्टी को आवश्यक शिकायत प्रक्रिया में विशिष्ट रूप से बताए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया आवश्यक शिकायत प्रक्रिया प्राप्त होने के 10 कैलेंडर दिनों के भीतर अवश्य भेजनी चाहिए।

### **सूचना पर्याप्तता**

15 दिन के अन्दर ग्राही शिकायत पार्टी ओएएच और दुसरी पार्टी को सूचित नहीं करती है और यह मानती है कि देय शिकायत प्रक्रिया में पर्याप्त मांग नहीं है तो देय शिकायत प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती हैं। कमी प्राप्ति नोटिस के 5 दिन के अन्दर ओएएच यह निर्धारण करेगा कि देय शिकायत प्रक्रिया में पूर्ण मांग मिलती है और लिखित में पार्टी को तुरन्त सूचित करता है।

कोई पार्टी देय शिकायत प्रक्रिया को तभी संशोधित कर सकती है जब दुसरी पार्टी लिखित में अनुमति देती है। और निम्नलिखित समस्या-समाधान बैठक के जरिए हल का अवसर देती है। या देय शिकायत प्रक्रिया शुरू होने के पहले 5 दिन बाद ओएएच अनुमति स्वीकार नहीं करता। संशोधित देय शिकायत प्रक्रिया होने साथ ही समाधान बैठक और देय सुनवाई प्रक्रिया की समय-सीमा दोबारा शुरू होती है।

### **कार्यविधि के दौरान बच्चों की स्थिति**

किसी प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया के अवलंबन के दौरान जब तक अभिभावक और पब्लिक एजेंसी किसी बिंदु पर सहमत नहीं होते तब तक बच्चों को अपने मौजूदा शैक्षिक प्लेसमेंट में रखना होगा। (प्रदत्त अनुशासन सेक्सन के सिवाय) यदि पब्लिक स्कूल के प्रारंभिक दाखिले में किसी नई मांग को शामिल किया जाता है तो सभी प्रक्रियाओं की समाप्ति तक बच्चें अभिभावक की अनुमति से पब्लिक प्रोग्राम में ही रहेंगे। यदि प्रशासनिक विधि न्यायाधीश का निर्णय अभिभावक के किसी उपयुक्त प्लेसमेंट के बदलाव से मिलता है तो आगामी अपील के लागू होने तक वहीं प्लेसमेंट बच्चों का मौजूदा प्लेसमेंट होगा।

### **समस्या-निदान प्रक्रिया**

अभिभावक के किसी देय शिकायत के मिलने के 15 कैलेंडर दिन के अधीन और देय सुनवाई प्रक्रिया शुरू होने के पहले, अभिभावक और संबंधित सदस्य या एकल शिक्षा प्रक्रिया कार्यक्रम के सदस्य जिसे अभिभावक की देय शिकायत प्रक्रिया के परिचित तथ्यों में विशिष्ट जानकारी रखते के साथ पब्लिक एजेंसी को एक बैठक करनी होगी। बैठक में—

पब्लिक एजेंसी के पक्ष में निर्णय लेने का अधिकार हो वही प्रतिनिधि शामिल होगा, **और**

- जब तक अभिभावक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील नहीं लाते हैं पब्लिक एजेंसी भी नहीं ला सकते।

बैठक में एकल शिक्षा कार्यक्रम के सदस्य को शामिल करने का निश्चय अभिभावक व पब्लिक एजेंसी करती है।

बैठक का उद्देश्य अभिभावकों की आवश्यक शिकायत प्रक्रिया एवं उन तथ्यों का जिस पर समस्या पनपती है पर चर्चा करना है, जिससे पब्लिक एजेंसी को विवाद के निदान का मौका मिलता है।

निदान-बैठक जरूरी नहीं यदि:

अभिभावक एवं पब्लिक एजेंसी बैठक छोड़ने के लिए लिखित रूप से सहमत है,

- मध्यस्थता आजमाने के लिए अभिभावक एवं पब्लिक एजेंसी सहमत है: या
- देय शिकायत प्रक्रिया को पब्लिक एजेंसी ने शुरू कर दिया हो।

शिकायत प्राप्ति के 30 कैलेंडर दिन (निदान अवधि) प्रक्रिया के अधीन यदि अभिभावकों की संतुष्टि के मुताबिक देय शिकायत प्रक्रिया को पब्लिक एजेंसी ने नहीं निपटाया, देय सुनवाई प्रक्रिया हो सकती है।

निम्नलिखित परिस्थितियों "30 कैलेंडर दिन समाधान अवधि" या "त्वरित लागू समयरेखा" में धारा लागू नहीं होती है तो 30 कैलेंडर दिन निदान अवधि की समाप्ति पर अंतिम निर्णय देने के लिए 45 समयरेखा कैलेंडर दिन शुरू हो जाता है।

### **30 कैलेंडर दिन निदान अवधि व्यवस्था**

समाधान अवधि बढ़ाने, समाधान प्रक्रिया छोड़ने या मध्यस्थता आजमाने के लिए अभिभावक व पब्लिक एजेंसी सहमत हो गए हैं तथा बैठक नहीं होती है तो निदान सुनवाई प्रक्रिया और देय सुनवाई प्रक्रिया अभिभावक की निदान बैठक में भाग लेने में असफलता के बाद ही आयोजित होगी।

उचित प्रयास एवं तथ्यों को सिद्ध करने के बाद पब्लिक एजेंसी को यदि निदान बैठक में अभिभावकों की भागीदारी मिलती तो 30 कैलेंडर दिन निदान अवधि की समाप्ति पर पब्लिक एजेंसी देय शिकायत प्रक्रिया को रद्द करने के लिए प्रशासनिक विधि न्यायाधीश से निवेदन कर सकते हैं। तथ्यों की प्रस्तुतीकरण में समय एवं स्थान पर पारस्परिक सहमति की व्यवस्था के प्रयास के रिकॉर्ड को पब्लिक एजेंसी को शामिल करना होगा। जैसा कि:

विस्तृत टेलिफोन किए गए कॉल रिकॉर्ड या उन कॉलो के परिणाम,

- अभिभावकों को भेजे गए पत्राचार एवं उनके प्रत्युत्तर की प्रतियां; और
- अभिभावकों के घर या काम की जगह पर किए गए दौरों एवं उनके परिणामों की विस्तृत प्रतियां।

अभिभावक की देय शिकायत प्राप्ति नोटिस के 15 कैलेंडर दिन के भीतर यदि पब्लिक एजेंसी निदान बैठक आयोजित नहीं करती या निदान बैठक भाग नहीं लेती तो सुनवाई और निर्णय के लिए प्रदत्त 45 कैलेंडर दिन समयरेखा में अभिभावक निवेदन कर सकते हैं।

निदान बैठक छोड़ने के लिए यदि अभिभावक और पब्लिक एजेंसी लिखित रूप से सहमत है तब देय सुनवाई प्रक्रिया का 45 कैलेंडर दिन समयावधि अगले दिन से चालू होता है।

मध्यस्थता या निदान बैठक शुरू होने के बाद एवं 30 कैलेंडर दिन समस्या समाधान अवधि की समाप्ति से पहले यदि अभिभावक एवं पब्लिक एजेंसी किसी समझौते पर सहमत नहीं होते तो 45 कैलेंडर दिन समयावधि की देय सुनवाई प्रक्रिया अगले दिन से चालू होती है।

निदान समाधान की 10 कैलेंडर दिन की अवधि की समाप्ति पर यदि अभिभावक और पब्लिक एजेंसी मध्यस्थता अपनाने के लिए सहमत है फिर भी किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तथा दोनों मध्यस्थता प्रक्रिया को बरकरार रखते हैं। तो मध्यस्थता प्रक्रिया में से कोई भी हट सकता है तब देय सुनवाई प्रक्रिया की 45 कैलेंडर दिन समयावधि अगले दिन से शुरू होती है।

### **समाधान निर्धारण संधि**

यदि विवादित समझौता समाधान बैठक तक पहुंच जाता है तो वैधानिक पालनीय संधि में अभिभावक एवं पब्लिक एजेंसी को शामिल होना पड़ेगा। अर्थात्—

- अभिभावक एवं पब्लिक एजेंसी के ऐसे प्रतिनिधि जिसे किसी संधि के लिए पब्लिक एजेंसी को संचालित करने का अधिकार हो, **और**
- किसी राज्य की योग्य न्यायिक क्षेत्र की अदालत (इस तरह के मुद्दे को किसी राज्य की अदालत में सुनने का अधिकार हो) या संघीय जिला अदालत में लागू करने योग्य।

समाधान बैठक के परिणामस्वरूप किसी समझौते पर यदि अभिभावक और पब्लिक एजेंसी दखल डालते हैं तो कोई भी पार्टी (3) व्यावसायिक दिनों के भीतर उस समझौते से मुकर सकते हैं।

**आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया**

आवश्यक शिकायत प्रक्रिया दर्ज करते समय अभिभावक या पब्लिक एजेंसी किसी विवाद में फंसे हैं तो उनके पास निष्पक्ष देय सुनवाई प्रक्रिया का अवसर होता है।

**प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (ALJ)**

प्रशासनिक सुनवाई कार्यालय का कर्मचारी है;

- ऐसा व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ नहीं होगा जिससे सुनवाई में उनके उद्देश्य में रुकावट हो;
- आइडिया की शर्तों, इससे संबंधित संघीय एवं राज्य नियम तथा वैधानिक निर्णयों का जानकार एवं समझता हो; और
- सुनवाई संचालित करने की योग्यता एवं ज्ञान, और

**आवश्यक शिकायत प्रक्रिया की विषय-वस्तु**

दर्ज कराई गई शिकायत के मुद्दे को देय शिकायत सुनवाई प्रक्रिया में नहीं उठाया गया या इस प्रक्रिया के समय इसका संबोधन नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी (अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी) इससे सहमत नहीं होती।

**सुनवाई अधिकार**

देय शिकायत प्रक्रिया (IDEA की अनुशासनात्मक सुनवाई प्रक्रिया) में किसी पार्टी का हक है कि:

- देय शिकायत प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार की धारा §9-1607.1, मेरीलैंड उल्लेखित कोड के अनुसार अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करे या एक अटॉर्नी की सहायता से अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
- एक ऐसे वकील या लोगों के साथ रहे या उनसे सलाह ले जिन्हें विकलांग बच्चों की परेशानियों के बारे में विशेष ज्ञान हो या प्रशिक्षण मिला हो;
- विकलांग बच्चों की समस्याओं से संबंधित प्रशिक्षण में वकील या दक्ष व्यक्ति की सलाह लेना।
- सबूत, प्रतिप्रश्न और गवाहों की उपस्थिति की मांग करना;
- सुनवाई होने से कम से कम पांच व्यावसायिक दिन के पहले किसी सबूत का खुलासा नहीं हुआ तो सुनवाई के समय उसे कोई भी पार्टी रोक सकती है;
- इलैक्ट्रॉनिक, सुनवाई के अक्षरक्ष: अभिलेख पर अभिभावक के विकल्प; और
- अभिभावक विकल्प पर, तथ्यों एवं निर्णयों की लिखित या इलैक्ट्रॉनिक खोज।

**अतिरिक्त प्रकाशन सूचना**

सुनवाई के दौरान जिसे अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी मूल्यांकन पर आधारित दिन और सिफारिश पर तैयार सभी प्रतियों के कम से कम पांच व्यावसायिक दिन पहले परस्पर खुलासा करना होगा।

### अभिभावकीय अधिकार

अभिभावक को अधिकार है कि:  
बच्चे को उपस्थित रखना:

- सुनवाई को आम लोगों में खोलना; और
- इन्हें निःशुल्क दिए गए, सुनवाई, तथ्य एवं निर्णय की खोज की प्रतियों को रखना।

### सुनवाई निर्णय

प्रशासनिक न्यायाधीश का निर्णय कि क्या किसी बच्चे ने निःशुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) मिली है पर मौलिक स्तर का होगा। किसी कार्यप्रणाली उल्लंघन के मामले में ALJ को पता लग सकता है कि निम्न अपर्याप्त कार्यप्रणाली से उस बच्चे को FAPE नहीं मिली

- बच्चे के FAPE अधिकार में दखल डाला गया;
- बच्चे के FAPE शर्त से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने से मुख्य रूप से अभिभावक के अवसरों में रुकावट डाली गई; या
- शैक्षिक लाभ से वंचित होने के कारण।

IDEA के भाग बी के तहत संघीय नियमों की कार्यप्रणाली रक्षा सैक्शन में सार्वजनिक एजेंसी को मांग पूरी करवाने के ALJ के आदेश को उक्त वर्णित कोई भी विधान नहीं रोक सकता (300.536 से 34 CFR 300.500)।

### पृथक आवश्यक शिकायत प्रक्रिया

पहले से दर्ज करायी गई आवश्यक शिकायत प्रक्रिया से अलग किसी मुद्दे पर आवश्यक शिकायत प्रक्रिया को दर्ज कराने से अभिभावक को IDEA का कोई भी प्रक्रिया रक्षा प्रभाग नहीं रोकता।

### सुनवाई समयावधि एवं सुविधा

समाधान बैठक के 30 कैलेंडर दिन समयावधि के बाद 45 कैलेंडर दिन से ज्यादा न हो या “30 कैलेंडर दिन समयावधि निर्धारण” या “त्वरित लागू समयावधि” में वर्णित निर्धारित समयावधि के बाद 45 कैलेंडर दिन से ज्यादा न हो, यदि:

- सुनवाई में अंतिम निर्णय पहुंच जाता है; और
- फैसले की एक-एक प्रतिलिपि सभी पार्टियों को भेज दी गई है।

किसी पार्टी के अनुरोध पर 45 कैलेंडर समयावधि दिन के अलावा ALJ विशेष विस्तार कर सकते हैं। अभिभावकों और बच्चों की सुविधानुरूप समय एवं स्थान पर प्रत्येक सुनवाई होगी।

### त्वरित लागू समयावधि

किसी विकलांग बच्चे के पक्ष में दर्ज आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में त्वरित लागू सुनवाई प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक एजेंसी जिम्मेदार है इसमें:

- वर्तमान स्कूल में बिना नाम या असम्मिलित विकलांग बच्चा;
- अंतरिम चयन शिक्षा व्यवस्था में विकलांग बच्चे की भर्ती
- निर्णित अभिव्यक्ति ।

शिकायत दर्ज कराने के दिन से 20 स्कूली दिन के अंदर आवश्यक शिकायत प्रक्रिया आयोजित हो जानी चाहिए। सुनवाई के बाद ALJ 10 स्कूली दिन के अंदर फैसला करेंगे। आवश्यक शिकायत प्रक्रिया प्राप्ति के 15 कैलेंडर दिन के भीतर यदि मुद्दा दोनों

पार्टियों की संतुष्टि के मुताबिक नहीं सुलझा तो आवश्यक शिकायत प्रक्रिया और आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया प्राप्ति के नोटिस के अनुसार समाधान बैठक 7 कैलेंडर दिन में होनी चाहिए थी वह आगे बढ़ सकती है।

### सुनवाई निर्णय की अंतिमता

अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी में से किसी ने अपील नहीं की तो प्रशासनिक विधि न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होता है। खोज और निर्णय से दुखी कोई पार्टी आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया में पेश की गई शिकायत के संबंध में न्यायिक कदम उठाने का अधिकार है।

### अपील

सुनवाई की कोई भी पार्टी खोज एवं निर्णय से असहमत है तो ALJ के निर्णय के दिन से 120 दिन के अंदर किसी योग्य न्यायिक क्षेत्र की राज्य अदालत में या संयुक्त राज्य की जिला अदालत में न्यायिक कदम उठाने की अपील का अधिकार है।

किसी न्यायिक कदम में, अदालत:

- प्रशासकीय क्रिया प्रणाली के अभिलेख प्राप्त करेगा;
- अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी के अनुरोध पर अतिरिक्त सबूतों की सुनवाई करेगा; और
- सबूतों की अहमियत पर इनके फैसलों की तह में जाएगा: और
- अदालतीय निर्धारित उचित राय को मानेगा।

अमेरिकन संविधान के तहत, अमेरिकन विकलांग अधिनियम 1990 का शीर्षक V पुनर्वास अधिनियम 1973 (सैक्शन 504), या विकलांग बच्चों के अधिकार रक्षक अन्य संघीय कानून में उपलब्ध अधिकार, प्रक्रिया, और प्रतिक्रिया को IDEA का भाग भी न तो रोकता न सीमित करता। सिवाय इसके कि इन कानूनों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही दर्ज कराने से पहले OAH की आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया की प्रक्रिया से अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी अवश्य थक गए हों। इसका मतलब है कि IDEA में उपलब्ध उन नियमों को लांघने वाले दूसरे कानूनों को अभिभावक अपना रोकते ही लेकिन सामान्यतः दूसरे नियमों की शरण लेने के लिए अभिभावक सीधे अदालत में जाने से पहले IDEA में उपलब्ध प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं को पहले अपना पड़ेगा (अर्थात् आवश्यक शिकायत प्रक्रिया, समाधान बैठक, अतिरिक्त देय प्रक्रिया सुनवाई क्रिया विधि)।

### अटॉर्नी फीस

IDEA के तहत हुई कार्यवाही या क्रियाविधि में अदालत निम्न पार्टी को उपयुक्त वकालत नाम फीस दे सकता है:

- अभिभावक या विकलांग बच्चे के संरक्षक की प्रचलित पार्टी;
- प्रचलित MSDE पार्टी या अभिभावकीय वकालतनामा के विरुद्ध किसी दूसरी सार्वजनिक एजेंसी जिसकी दर्ज शिकायत या आगामी कार्यवाही के कारण तुच्छ, अनुपयुक्त या निराधार है। या अभिभावकीय उन वकालत तामा के विरुद्ध जिसके स्पष्ट तुच्छ अनुपयुक्त या निराधार होने पर भी मुकदमे पर मुकदमें करता हो।
- प्रचलित MSDE पार्टी या अभिभावकीय वकालत नाम के विरुद्ध दूसरी सार्वजनिक एजेंसी या अभिभावक के विरुद्ध, यदि अभिभावक की शिकायत या आगामी कार्यवाही का कारण किसी अनुचित उद्देश्य के लिए दी गई हो जैसे परेशान करना, अनावश्यक देरी करना या मुकदमें की लागत मूल्य में अनावश्यक बढ़ोतरी करना।

प्रदत्त फीस समुदाय में प्रचलित दरों के आधार पर होनी चाहिए जिसमें सेवाओं के प्रकार और गुण पर आधारित कार्यवाही हुई। प्रदत्त फीस में न तो बोनस और न ही वर्द्धक फीस गिनी जा सकती है।

निम्न परिस्थितियों में फीस नहीं दी जा सकती:

- आवश्यक शिकायत प्रक्रिया या न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई IEP टीम बैठक नहीं बुलाई जाने के लिए;
- मध्यस्थता द्वारा संचालित प्रारंभिक देय शिकायत प्रक्रिया के दर्ज के लिए;

- समाधान बैठक के लिए; और
- अभिभावकीय लिखित निर्धारण ऑफर के अनुसरण करने वाली सेवाओं के लिए यदि:
  - न्यायिक प्रक्रिया की संघीय विधि के नियम 68 के तहत समयावधि के अंदर किए गए ऑफर या कार्यप्रणाली शुरू होने से पहले दस दिन से ज्यादा प्रशासनिक प्रक्रिया में;
  - दस दिन के अंदर ऑफर को स्वीकार नहीं किया जाता है; और
  - सुनवाई में अभिभावक से अदालत को मिली प्रतिक्रिया जो निर्धारण ऑफर से ज्यादा अभिभावक के अनुकूल नहीं है। निर्धारण ऑफर को रद्द करने में यदि अभिभावक ने असल न्यायिक तरीका अपनाया हो।

निम्न परिस्थितियों में फीस कम की जा सकती है:

- अभिभावक या इसके वकील ने विवाद को सुलझाने में बेवजह देरी की हो;
- वकील की उपयुक्त तुलनीय योग्यता, ख्याति और अनुभव जैसी सेवाओं के लिए समुदाय में प्रचलित घंटे वार दरों से बेकार में फीस की राशि बढ़ जाती है;
- समय और सेवाएं प्रक्रियाविधि से ज्यादा माना हो; या
- आवश्यक शिकायत सुनवाई अनुरोध नोटिस के दर्ज कराने में वकील ने उपयुक्त जानकारी नहीं दी हो।

फीस कम नहीं की जाएगी यदि:

- सार्वजनिक एजेंसी ने समाधान में देरी की हो; या
- रक्षा मांग प्रक्रिया का उल्लंघन हो।

क्योंकि IDEA में चालू हुई निश्चित परिस्थितियों की बैठक पर वकील की फीस में संशोधन करने के अभिभावक का अधिकार निर्भर करता है। जिस पर ये अपने वकील से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

**संलग्न**  
**आइडिया की तुलनात्मक विवाद हल प्रक्रिया सूची**

	मध्यस्थता	देय शिकायत प्रक्रिया	समाधान प्रक्रिया	राज्य शिकायत
इस प्रक्रिया की अगुवाई कौन कर सकता है?	माता-पिता या सार्वजनिक एजेंसी। लेकिन इनमें दोनों की ही इच्छा होनी चाहिए	माता-पिता या सार्वजनिक एजेंसी	देय शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति सूची में सार्वजनिक एजेंसी, समाधान बैठक को दर्ज करा दे अन्यथा पार्टी को मध्यस्थता लेने और नहीं लेने का हक है	राज्य या बाहर से शामिल व्यक्तिगत या संगठन
अर्जी देने की समय-सीमा क्या है?	कोई उल्लेख नहीं	पार्टी को शिकायत के बारे में जानने के 2 वर्ष तक या इस अवधि के अन्तर्गत सीमित उपेक्षाओं को पूर्ण होने के बीच आने वाली समस्याओं का पता लगा लेना चाहिए <sup>1</sup>	यह प्रक्रिया किसी माता-पिता की देय शिकायत प्रक्रिया से चालू हुई	उल्लंघन होने के कथित 1 वर्ष
किस मुद्दे का हल हो सकता है?	भाग 300 के अन्तर्गत, ऐसे मामले हैं जो शिकायत प्रक्रिया के समय उठने वाले प्रारंभिक तथ्य आते हैं। (यह उपवाद के रूप में है) <sup>2</sup>	पहचान, मूल्यांकन, शैक्षिक रखरखाव या निशुल्क सार्वजनिक सुविधा से संबंधित तथ्य (यह अपवाद है)	इस तरह के मुद्दे माता-पिता की देय शिकायत प्रक्रिया में उठे	आइडिया के भाग 'बी' या भाग 300 के कथित उल्लंघन पर
मुद्दे के हल होने में कितना वक्त लगेगा?	कोई उल्लेख नहीं	मुद्दे के हल होने की समाप्ति से 45 दिन तक अन्यथा समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा <sup>3, 4</sup>	माता-पिता की देय शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर, सार्वजनिक एजेंसी को चाहिए कि वह समाधान बैठक बुला ले अन्यथा लिखित में सूचित करके पार्टी बैठक को छोड़ सकती है या मध्यस्थता नहीं ले सकती  माता-पिता की देय शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति से समाधान अवधि 30 दिन है। अन्यथा पार्टी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती या माता-पिता एवं सार्वजनिक एजेंसी समाधान बैठक में भाग नहीं ले सकते या माता-पिता की देय शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर, सार्वजनिक एजेंसी समाधान बैठक भी नहीं बुला सकती <sup>3, 5, 6, 7</sup>	शिकायत प्राप्ति से 60 दिन तक अन्यथा समय-सीमा में छूट नहीं दी जाएगी <sup>8</sup>
इन मुद्दों का समाधान कौन करेगा?	किसी मध्यस्थ के साथ माता-पिता और सार्वजनिक एजेंसी। यह प्रक्रिया ऐच्छिक है और किसी मुद्दे को हल करने के लिए दोनों पक्षों की सहमती जरूर होनी चाहिए	सुनवाई अधिकारी/प्रशासनिक विधिन्यायाधिश (प्र.वि.न्या.)	माता-पिता और सार्वजनिक एजेंसी  किसी भी समाधान के लिए दोनों पक्षों की सहमति भी होनी चाहिए	शिक्षा विभाग, मेरीलेण्ड राज्य <sup>9</sup>

- 1 (i) सार्वजनिक एजेंसी का झूठा बयान जिसके अघार पर देय शिकायत प्रक्रिया समस्या का हल किया गया था।  
(ii) अभिभावक को सूचना देने में सार्वजनिक एजेंसी की देरी। इसकी मांग आइडिया के भाग 300 के अधीन की गई थी। इसी को अभिभावक को देना था। (34 सी.एफ.आर एंव 300.5.11 (एफ) ) उक्त तथ्यों के कारण, देय शिकायत प्रक्रिया की अदायगी करने से यदि अभिभावक को रोका गया, तो इसके लिए समय-सीमा लागू नहीं होगी।
- 2 इस तरह के अपवाद में शामिल हैं: (क) कई बार सार्वजनिक एजेंसी देय शिकायत प्रक्रिया को अदा नहीं करती और न ही विशेष शिक्षा सेवा की प्रारंभिक व्यवस्था में मध्यस्थ को लगाती हैं जिसके लिए अभिभावक दौड़-दौड़ कर हार मान बैठते हैं। (34 सी.एफ.आर एंव 300.300 (बी) (3)), (ख) नीजी स्कूल या घरेलू स्कूल में किसी अभिभावक ने अपने बच्चे का दाखिला करा रखा हों तो इसके प्रारंभिक मूल्यांकन या पुनः मुल्यांकन के लिए सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थता का सहारा नहीं लेती हैं। (34 सी.एफ.आर एंव 300.300 (सी) (4)) (1), (ग) देय शिकायत प्रक्रिया को अदा करने के अधिकार भी सार्वजनिक एजेंसी की असफलता पर सीमित हो जाते हैं। इसमें है पैतृक स्थापित स्कूल के बच्चे (34 सी.एफ.आर एंव 300.140), (घ) उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक यदि सार्वजनिक एजेंसी देने में असमर्थ रहती है तो इसे विचार्य विषय नहीं माना जाता। लेकिन राज्य शिक्षा एजेंसी राज्य शिकायत दर्ज करा सकती है। (एस ई ए) (34 सी. एफ.आर एंव 300.156 (ई))
- 3 यदि अनुशासनिक क्रियाविधि में अनुसरणकर्ता की तुरन्त सुनवाई के लिए देय शिकायत प्रक्रिया अदा की जाती है, या मौजूद अवस्था में बच्चों का दाखिला नहीं हुआ और न ही वे पढ़ने जा रहे हैं तो समाधान अवधि 15 दिन की होगी। (जिसमें 7 दिन के भीतर बैठक करनी पडती है।) यदि मामलो का निपटारा दोनों पक्षों की संतुष्टि से बाहर है तो उस दिन से 20 दिन के भीतर सुनवाई होनी ही चाहिए। सुनवाई के बाद 10 स्कूली दिन में फैसला अवश्य दे। (34 सी.एफ.आर एंव 300.532 (सी) ) सी. ओ. एम. ए.आर (कोमार) 13 ए. 05.01.15)
- 4 किसी पक्ष के निवेदन पर विशिष्ट समय-सीमा को सुनवाई अधिकार। प्रशासनिक विधि न्यायाधीश बढ़ा सकते हैं।
- 5 समाधान व्यवस्था अवधि में 30 दिन का नियमन वक्त देता है।  
निम्न तथ्यों की सुनवाई के दिन से देय प्रक्रिया के लिए 45 दिन का वक्त होता है। (i) समाधान बैठक को छोड़ने के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं। (ii) मध्यस्थता या समाधान बैठक के शुरू होने के बाद, लेकिन 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले। पार्टी लिखित रूप से इस बात के लिए सहमत है कि कोई समझौता नहीं होगा। (iii) समाधान बैठक के 30 दिन की समाप्ति पर भी यदि दोनों पक्ष लिखित रूप से मध्यस्थता को बरकरार रखते हैं तो अभिभावक या सार्वजनिक एजेंसी मध्यस्थ प्रक्रिया से हट जाती है। (34 सी.एफ.आर एंव 300.510 (सी) )
- 6 समाधान बैठक में भाग लेने में यदि अभिभावक असफल है जिससे समाधान प्रक्रिया और देय प्रक्रिया की सुनवाई में देरी होती है तो बैठक नहीं की जाएगी। (34 सी.एफ.आर एंव 300.510 (बी) (3) )
- 7 अभिभावक की देय शिकायत प्रक्रिया की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर यदि सार्वजनिक एजेंसी समाधान नहीं करती या समाधान बैठक में भाग नहीं लेती तो देय प्रक्रिया की सुनवाई की समय-सीमा को शुरू करने के लिए, अभिभावक किसी प्रशासनिक विधि न्यायाधीश का सहारा ले सकते हैं। (34 सी.एफ.आर एंव 300.510 (बी) (5) )।
- 8 किसी विशेष शिकायत के संबंध में कोई अतिरिक्त परिस्थितियां उभर आती हैं या अभिभावक (एकल या संगठन, मध्यस्थता या विवाद के अन्य वैकल्पिक साधन यदि राज्य की क्रिया विधि के अन्तर्गत उपलब्ध हैं) और मध्यस्थता को बरकरार रखने के लिए सार्वजनिक एजेंसी सहमत है या विवाद हल के वैकल्पिक साधन यदि उसी राज्य के पास हैं तो भी राज्य शिकायत समाधान समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। (34 सी.एफ.आर एंव 300.152 (बी) (1) )।
- 9 सार्वजनिक एजेंसी के विवेक पर आधारित, शिकायत के समाधान के लिए प्रस्ताव; अभिभावक के शिकायत दर्ज कराने के समय यदि सार्वजनिक एजेंसी स्वेच्छा से मध्यस्थता में लगी होती है तो शिकायत के जवाब के लिए सार्वजनिक एजेंसी को एम.एस.डी.ई शिकायत प्रक्रिया में छुट देती है। (34 सी.एफ.आर एंव 300.152 (ए) (3) )  
कुछ मामलो में, बिना एम.एस.डी.ई की जरूरत के भी, शिकायतकर्ता और सार्वजनिक एजेंसी विवाद का निपटारा कर सकते हैं।